



सत्यमेव जयते

शुचि-दर्पण



सतर्क भारत – समृद्ध भारत



अक्टूबर, 2020

October, 2020

पूर्वोत्तर रेलवे

अंक - 30

Issue - 30

N.E. Railway

सतर्कता बुलेटिन
VIGILANCE BULLETIN



सतर्कता जागरूकता सप्ताह

(27 अक्टूबर - 02 नवम्बर, 2020)

“सतर्क भारत, समृद्ध भारत”

“VIGILANT INDIA, PROSPEROUS INDIA”



सतर्कता संगठन

पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर



सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे-सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।

मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए।

अतः मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि -

- ◆ जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूँगा।
- ◆ ना तो रिश्वत लूँगा और ना ही रिश्वत दूँगा।
- ◆ सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूँगा।
- ◆ जनहित में कार्य करूँगा।
- ◆ अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूँगा।
- ◆ भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की सूचना उचित एजेन्सी को दूँगा।

एल.सी. त्रिवेदी
महाप्रबन्धक
L. C. Trivedi
General Manager



पूर्वोत्तर रेलवे
गोरखपुर - 273012
North Eastern Railway
Gorakhpur - 273012



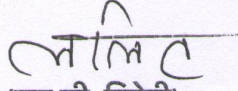
सन्देश

पूर्वोत्तर रेलवे के सतर्कता संगठन को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर “**शुचि दर्पण**” का ई-संस्करण जारी करने के लिए बधाई। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2020 तक किया जा रहा है, जिसके लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा “सतर्क भारत, समृद्ध भारत - Vigilant India, Prosperous India” विषय को चुना गया है जो आज के परिवेश में अत्यंत प्रासंगिक है।

देश के सतत आर्थिक विकास के लिए भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्ति आवश्यक है। भ्रष्टाचार का तात्पर्य केवल रिश्वत ही नहीं है, अपितु कर्तव्य के प्रति उदासीनता एवं सरकारी संसाधनों का अनुचित प्रयोग भी भ्रष्टाचार की परिधि में आते हैं। ऐसी स्थिति में सतर्कता संगठन की निवारक भूमिका प्रासंगिक हो जाती है।

सतर्कता संगठन, जो कि प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है, अपनी भूमिकाओं एवं कर्तव्यों के प्रति समर्पित है। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि यह संगठन अपनी पूरी क्षमता के साथ भ्रष्टाचार उन्मूलन में अपनी भूमिका निभाएगा।

मैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे सभी कार्यक्रमों की सफलता की कामना करता हूँ।


(एल.सी. त्रिवेदी)
महाप्रबन्धक
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

Ramesh Kumar Jha
Principal Exec. Director(Vig.)
&
Chief Vigilance Officer



भारत सरकार
रेल मंत्रालय, (रेलवे बोर्ड)
रेल भवन, नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
RAIL BHAVAN, NEW DELHI-110001



Message

The Central Vigilance Commission observes the Vigilance Awareness Week each year to emphasize the significance of probity and integrity in public life. The theme chosen this year by Commission **“Vigilant India, Prosperous India (Satark Bharat, Samriddh Bharat)”** is very relevant as corruption crumbles the vital functions of the country.

Vigilance Organisation of Ministry of Railways endeavours to promote integrity, transparency and accountability in public life with the ultimate objective to bring about improvements in governance.

The observance of such events helps in developing awareness about the consequences of corruption and educating the public to create a corruption free society. While observance of mass awareness, Covid-19 prevention guidelines besides adopting economy measures issued by Ministry of Finance should be strictly adhered.

We will make every effort to promote integrity and eradicate corruption with the active support and participation of all stakeholders. I do believe that public participation plays a very crucial role in combating corruption and in nation building. Outreach activities for dissemination of anti-corruption measures and stressing the necessity of Vigilant India would lead to Prosperous India.

Publication of special E-edition of Vigilance Bulletin on this occasion would really help in spreading awareness amongst all Railwaymen and go a long way in making corruption-free India.


19/10/20
(Ramesh Kumar Jha)



अमिताभ ओझा
वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक

Amitabh Ojha
Sr. Dy. General Manager



पूर्वोत्तर रेलवे
गोरखपुर - 273012 (उत्तर प्रदेश)

North Eastern Railway
Gorakhpur-273012 (Uttar Pradesh)



सन्देश

इस वर्ष 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2020 तक "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा "सतर्क भारत, समृद्ध भारत - Vigilant India, Prosperous India" विषय को चुना गया है।

भ्रष्टाचार किसी भी देश की समृद्धि और विकास में बाधक है। जिस किसी देश में प्रशासन और समाज दोनों में भ्रष्ट आचरण की पैठ हो, वह देश समृद्ध नहीं हो सकता है। ऐसे समय में सतर्कता संगठन की निवारक भूमिका अत्यंत प्रासंगिक हो जाती है। जहाँ दंडात्मक तरीके से भय द्वारा भ्रष्टाचार उन्मूलन एक सीमित एवं नकारात्मक प्रक्रिया है, वहीं निवारक तरीके से भ्रष्टाचार उन्मूलन एक व्यापक एवं सकारात्मक प्रक्रिया है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे सतर्कता संगठन द्वारा निवारक सतर्कता के प्रयास के रूप में सतर्कता बुलेटिन "शुचि-दर्पण" का ई-संस्करण जारी किया जा रहा है, जिसमें केस स्टडीज एवं पद्धति सुधार शामिल किये गए हैं। मुझे विश्वास है की रेलकर्मों इससे लाभान्वित होंगे तथा वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन अधिक दक्षता एवं सतर्कता से कर सकेंगे।

30 311
23.10.2020

(अमिताभ ओझा)
वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर



सतर्कता जागरूकता सप्ताह

27 अक्टूबर से 02 नवम्बर, 2020



नौकरी पाने के लिए
दलालों
के झांसे में नहीं आयें।

शिष्ट लेना और देना अपराध है

ऐसे लोगों का पर्दाफाश करें

नौकरी पाने की
सही प्रक्रिया को अपनाएं

धोखे व परेशानी से दूर रहें

“सतर्क भारत-
समृद्ध भारत”



सतर्कता संगठन
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

विषय सूची

पद्धति सुधार

क्रमांक	विषय	पृष्ठ सं.
1	डी.एम.आर. एवं साइनिंग आन-आफ पंजिका में आउट/इन ड्यूटी का विवरण अंकित करने के सम्बन्ध में ।	1
2	भंडार के आपूर्ति संविदाओं में निर्धारित मात्रा वितरण के सम्बन्ध में ।	2
3	मांग पत्र बनाते समय ली जाने वाली सावधानियां	3-4
4	Preparation of estimate & Tender schedule and Consideration of Tender by Tender Committee	5
5	“JPO for expending lot formation of Engineering Scrap” के पालन के सम्बन्ध में ।	6
6	Warranty clause for procurement of LED lights	7
7	डी.एम.आर. पंजिका में साइन आन-आफ करते समय पूरा हस्ताक्षर किये जाने के सम्बन्ध में ।	8
8	बंगले के साथ बाहरी आवासों को सम्बद्ध किये जाने हेतु नीति निर्धारण के सम्बन्ध में ।	9-10
9	कंक्रीट कार्य में प्रयोग किये जा रहे एग्रीगेट एवं फाइन एग्रीगेट की ग्रेडिंग के सम्बन्ध में ।	11-12
10	ए.एम.सी. में ठेकेदार द्वारा स्टेशनों पर अनुरक्षण कर्मचारी पदस्थापित करने के सम्बन्ध में ।	13
11	विद्युतीकृत स्टेशनों पर सिगनलिंग उपकरणों हेतु प्रदत्त जेनरेटरों करने के सम्बन्ध में ।	14
12	चिकित्सा विभाग द्वारा जारी सफाई टेण्डर की “Minimum Eligibility Criteria” करने के सम्बन्ध में ।	15
13	गोण्डा जं0 प्लेटफार्म पर करारनामा के तहत कराये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में ।	16
14	भोजन प्रभार की कटौती से सम्बन्धित सुझाव के सम्बन्ध में ।	17-18
15	करारनामा के Schedule of work में High value item के सप्लाय के सम्बन्ध में ।	19
16	कर्मचारियों की चिकित्सा परीक्षा के सम्बन्ध में ।	20
17	स्कूटर/कम्प्यूटर अग्रिम के ब्याज की कटौती करने के सम्बन्ध में ।	21
18	गोरखपुर से वाराणसी सेक्शन के मध्य छः कार्यों के सम्बन्ध में ।	22
19	रेल कर्मचारी द्वारा सेवाकाल के दौरान दूसरी पत्नी/पति का नाम सेवा अभिलेखों में दर्ज करने के सम्बन्ध में ।	23

केस स्टडी

20	स्टेशनों पर लगे डीजल जेनरेटरों के अनुरक्षण हेतु ए.एम.सी. में पायी गई अनियमितता ।	26-28
21	Irregularities in GeM Contract	29
22	विभिन्न स्टेशनों एवं समपार गेटों पर लगे Auto Changeover CLS पैनल की AMC में अनियमितता ।	30
23	स्थानीय क्रय के द्वारा खरीदे गये सी.सी.टी.वी. कैमरे के निरीक्षण में अनियमितता ।	31
24	Irregularities/Suggestions of Contract Work in Mechanical	32

	Department.	
25	Violation of Eligibility Criteria	33
26	ई.एफ.टी. में पायी गई अनियमितता ।	34–36
27	यांत्रिक विभाग में पायी गई अनियमितता ।	37–38
28	Partial withdrawal under NPS में अनियमितता ।	39
29	सी.सी.बिल में बिना कार्य कराए भुगतान किया जाना ।	40–41
30	यू.टी.एस. टिकटों को जारी करने में पायी गई अनियमितता ।	42–43
31	रेलवे सुरक्षा पोस्ट पर बल सदस्यों द्वारा निजीधन की घोषणा न करना ।	44
32	पुलों के पेटिंग कार्य में की गई अनियमितता ।	45
33	GDCE उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा में अनियमितता ।	46
34	फर्जी रसीदों/वाउचरों के द्वारा नगद अग्रदाय राशि का दुरुपयोग ।	47
35	RDI में सप्लाई किये जा रहे HSD Oil की चोरी का मामला ।	48
36	आवधिक स्थानान्तरण में पायी गई अनियमितता ।	49–50
37	पुनर्वेतन निर्धारण किये जाने में अनावश्यक विलम्ब किया जाना ।	51
38	अवैध साफ्टवेयरों से तत्काल टिकटों का कारोबार ।	52–53
39	अनुकम्पा आधार पर की गई नियुक्ति में अनियमितता ।	54
40	पार्सल कार्यालय में पायी गई गम्भीर अनियमिततायें ।	55–56

अन्य

41	भ्रष्टाचार निवारण की दिशा में सही कदम	57–59
42	 एक परिवर्तन	60

पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

Office of
General Manager/Vigilance
Gorakhpur-273012



कार्यालय
महाप्रबन्धक/सतर्कता
गोरखपुर – 273 012

सं०-डी.ए.आर./मुख्यालय/2020/05/00338/चेक

दिनांक .10.2020

प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

विषय:- प्रमुवाप्र दस्ते में कार्यरत चल टिकट परीक्षकों द्वारा डी.एम.आर. एवं साइनिंग आन-आफ पंजिका में आउट/इन ड्यूटी का विवरण अंकित करने के सम्बन्ध में।

विषयांकित के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि एक सतर्कता निवारक जाँच के क्रम में पाया गया कि प्रमुवाप्र दस्ते में कार्यरत चल टिकट परीक्षकों द्वारा ड्यूटी आउट करने के पूर्व तथा ड्यूटी पूर्ण करने के पश्चात् डी.एम.आर. एवं साइनिंग आन-आफ पंजिका में आउट/इन ड्यूटी का विवरण अंकित नहीं किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि चल टिकट परीक्षकों द्वारा डी.एम.आर. एवं साइनिंग आन-आफ पंजिका में आउट/इन ड्यूटी का विवरण अंकित नहीं किये जाने के कारण उनके द्वारा लिये गये यात्रा भत्ता का प्रतिपरीक्षण संभव नहीं है एवं उनके द्वारा मनमाने ढंग से यात्रा भत्ता की मांग एवं आहरण की प्रबल संभावना बनती है।

भारतीय वाणिज्य नियमावली के नियम 556 में भी सभी चल टिकट परीक्षकों द्वारा प्रत्येक मूवमेंट का विवरण एक पंजिका में अंकित करने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः प्रमुवाप्र दस्ते में कार्यरत चल टिकट परीक्षकों पर भी उक्त नियम समान रूप से लागू कराया जाना आवश्यक है क्योंकि उनके द्वारा भी ड्यूटी हेतु मूवमेंट किया जाता है एवं यात्रा भत्ता आहरित किया जाता है।

उपरोक्त के आलोक में प्रमुवाप्र दस्ते में कार्यरत चल टिकट परीक्षकों द्वारा डी.एम.आर. एवं साइनिंग आन-आफ पंजिका में ड्यूटी का विवरण अंकित किये जाने के सम्बन्ध में गाइडलाइंस/निर्देशों को reiterate करते हुए दिशा-निर्देश जारी किये जाने का अनुरोध है।

(जे.पी.सिंह)
उपमुसताधि/यातायात
कृते महाप्रबन्धक/सतर्कता

पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

Office of
General Manager/Vigilance
Gorakhpur-273012



कार्यालय
महाप्रबन्धक/सतर्कता
गोरखपुर – 273 012

पत्र सं० –जेड/13/एन० ओ० सी०/2019/08/0280/पी० सी०/104

दिनांक– 10/07/2020

प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबन्धक,
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

विषय– भंडार के आपूर्ति संविदाओं में एक से अधिक वेन्डर्स के मध्य पूर्व निर्धारित मात्रा वितरण के सम्बन्ध में ।

सतर्कता विभाग द्वारा किए गये भंडार विभाग के एक टेन्डर स्कूटनी में यह पाया गया कि निविदा की मात्रा को दो फर्मो 'A' एवं 'B' के बीच क्रमशः 60 : 40 के अनुपात में बंटवारा किया गया है, जबकि निविदा जारी करते समय मात्रा को बांटने की शर्त को सम्मिलित नहीं किया गया था।

जांच में यह पाया गया कि TC/TAA द्वारा उक्त निविदा के निर्णय के समय मात्रा को बांटने की शर्त पर चर्चा नहीं किया गया था तथा General Condition of Contract के Generic Splitting Clause 3.0 के अनुसार निविदा की मात्रा को Split किया गया पाया गया। इस प्रकार निविदा को निश्चित करते समय रेलवे बोर्ड के पत्र सं० 99/RS (G) /779/2 दिनांक 11/02/2016 के पैरा 2.1.1 का पालन नहीं हो पाया जो अवांछनीय है।

अतः आपसे आपसे आग्रह किया जाता है कि सभी कयाधिकारीयों को निर्देशित करें के किसी निविदा में मात्रा विभाजन के अभिप्राय को निविदा जारी करते समय निविदा की शर्तों में ही शामिल किया जाये तथा इसके इतर निर्णय लेने की स्थिति में समुचित परिस्थितियों एवं करणों का उल्लेख कर निर्णय को रिकार्ड किया जाये ताकि रेलवे बोर्ड के अनुदेशों का पालन हो एवं विवाद की स्थिति से बचा जा सके ।

(महेश सिंह)
उप मुसताधि/भंडार
पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर

पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

Office of
General Manager/Vigilance
Gorakhpur-273012



कार्यालय
महाप्रबन्धक / सतर्कता
गोरखपुर – 273 012

सं० एन/235/O/Policy/भाग-V

दिनांक-21/08/2020

मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर (निर्माण) , पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, सिग्नल कारखाना, गोरखपुर छावनी।
वारिष्ठ मंडल, सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर,
पूर्वोत्तर रेलवे / इज्जतनगर, लखनऊ एवं वाराणसी।
मसिदूड़/टेली, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

विषय :- मांग पत्र बनाते समय ली जाने वाली सावधानियां।

संदर्भ :- उप मुसताधि/ भंडार, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर का पत्र संख्या Z/13/NOC/2019/07/01832

दिनांक- 05/08/2020.

सतर्कता विभाग की एक निवारक जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि एक मंडल (इकाई) द्वारा इनवर्टर हेतु मांग पत्र बनाया गया, परंतु मांग पत्र में सामग्री के विवरण में इनवर्टर की बजाय बैटरी चार्जर की विशिष्ट लिख दी गई। स्पष्ट है कि मांग पत्र में गलत विवरण दर्ज किया गया तथा इसी गलत विवरण पर क्रयादेश भी जारी हो गया जबकि क्रयादेश जारी होने की प्रक्रिया तक सुधार के कई अवसर उपलब्ध होते हैं, परंतु हर दर्जे की लापरवाही की गई। इस प्रकार की त्रुटियों से न केवल समस्याएं (विवाद) उत्पन्न हो सकती हैं बल्कि समय संसाधन व रेल राजस्व की हानि भी हो सकती है। अतः आवश्यक है कि मांग पत्र बनाते समय एवं क्रय के विभिन्न चरणों में अतिरिक्त सावधानी बरती जाए इस संबंध में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाए।

1- सभी मांग पत्र बनाने वाली इकाई के के पर्यवेक्षकों को मांग पत्र बनाते समय सतर्क रहने के निर्देश दिए जाएं कि अन्य बातों के साथ-साथ सामग्री के नाम के साथ ही उसकी विशिष्ट ड्राइंग का विवरण अवश्य चेक करने के बाद ही हस्ताक्षर करें तथा अपने मंडल /इकाई के प्रमुख के कार्यालय में हस्ताक्षर हेतु भेजें।

2- मंडल /इकाइयों के प्रमुख के कार्यालय में मांग पत्र हस्ताक्षर हेतु प्राप्त होने पर उसकी जांच हेतु एक तंत्र बनाया जाए जहां मांग पत्र में अंकित विभिन्न इंद्राज की जांच हो सके। इसके लिए मंडलों इकाइयों को अपने मुख्यालय में एसएससी / जेई को इस कार्य को करने के लिए नामित किया गया हो तथा उसके द्वारा की गई जांच में ठीक पाए जाने पर तथा रजिस्टर में स्पष्ट टिप्पणी के बाद ही मंडलों इकाइयों के प्रमुख के पास हस्ताक्षर हेतु भेजा जाए।

3- सामग्री के क्रय हेतु आमंत्रित निविदा खुलने के पश्चात सक्षम अधिकारी मांगकर्ता के पास मिसिल तकनीकी टिप्पणी के लिए भेजा जाता है। तकनीकी टिप्पणी करते समय अन्य बातों के साथ यह सुनिश्चित किया जाए की

मांग की गई सामग्री का तकनीकी विवरण मात्रा तथा वर्तमान आवश्यकता ठीक है या नहीं ,तदनुसार ही टिप्पणी दी जाए ताकि भविष्य में किसी भी विसंगति से बचा जा सके

4-निविदा समिति के मामलों में तकनीकी सदस्य प्रस्तुति देते समय उपरोक्त क्रम संख्या 3 का अनुपालन अवश्य कर ले।

उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाये।
उपरोक्त प्रक्रिया iMMS प्लेटफार्म पर बनने वाले मांगपत्रों के लिए भी लागू होगी।

मुसिदूँ (प्रोजेक्ट एवं प्लानिंग)
कृते महाप्रबंधक (सिग्नल एवं दूरसंचार)

पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

Office of
General Manager/Vigilance
Gorakhpur-273012



कार्यालय
महाप्रबन्धक/सतर्कता
गोरखपुर – 273 012

No.Z/13/V6/2020/01/01550

Dated - 28 .07.2020

Principal Chief Electrical Engineer,
North Eastern Railway,
Gorakhpur.

**Sub: System Improvement regarding preparation of Estimate & Tender
Schedule and Consideration of Tender by Tender Committee**

1. Following errors were found during scrutiny of a tender of Electric Department (TRD) of a division:-
 - a. In the estimate, the unit of T-150 Mast was mistakenly taken as "Mtr" instead of "MT".
 - b. While preparing the Tender Schedule, the unit "No" was taken for the said item whereas in the estimate the unit of this item was "MT". Though the same cannot be termed as wrong, however if the unit of Tender Schedule and Estimate is the same, chances of error on part of TC get eliminated.
 - c. At the time of consideration of the tender, the Tender Committee compared the offered rate (in "no" unit) for the above mentioned item against the LAR rate (in "MT" unit).
2. To avoid recurrence of such errors, it is suggested that : -
 - i. While preparing the Tender Schedule, it should be ensured that the unit of an item in the Tender Schedule should be the same as mentioned for the corresponding item in the estimate.
 - ii. While considering the tender, the Tender Committee should ensure that the unit of an item in the LAR chosen for rate reasonability should be the same as mentioned for the corresponding item in the Tender Schedule of Tender Document.

This issues with the approval of SDGM.

(Ajitendra Tripathi)
Dy CVO/Elect.
For General Manager (Vigilance)

पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

Office of
General Manager/Vigilance
Gorakhpur-273012



कार्यालय
महाप्रबन्धक/सतर्कता
गोरखपुर – 273 012

संख्या /13/ जेड :NOC/ 00152/03/2019

दिनांक :10/10/2019

मण्डल रेल प्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे

लखनऊ।

विषय : पूर्वोत्तर रेलवे के Joint procedure Order(JPO) For expediting Lot Formation of Engineering Scrap Dt: 18.10.16 के पालन न करने के सम्बन्ध में,

पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मण्डल में हुई कुछ सतर्कता निवारक जांचों में सीनियर सेक्शन इंजीनियररेलपथ / के अधीन लगायी गयी लाटों के पास काफी मात्रा में गैर लेखांकित मदे पाई गयी, जिसको सम्बंधित सीनियर सेक्शन इंजीनियर / रेलपथ एवं लॉट फार्मेशन के लिए नियुक्त भण्डार सत्यापको द्वारा नजरंदाज किया जा रहा है जो कि नियमानुकूल नहीं है।

लॉट फार्मेशन पूर्वोत्तर रेलवे के Joint procedure Order(JPO) For expediting Lot Formation Engineering Scrap Dt: 18.10.16 के पैरा संख्या में वर्णित अनुदेशों 6" NO unaccounted rail should be available within one Km of the lots offered for disposal. All other rails (other than the lots offered for scrap) shall be properly accounted for in the P.Way register. Any subsequent releases (after the date of declaration till the offered lot is finally disposed) shall be immediately taken into account and not left unaccounted for" के अनुसार होना चाहिए, परन्तु जांचों में पाई गयी वस्तुस्थिति में उपरोक्त JPO के अनुदेशों से विचलन दिखाई पड़ रहे है। लॉट के पास गैर लेखांकित मदों के पड़े रहने से लॉट डिलीवरी के समय उन मदों की चोरी कि सम्भावना काफी बढ़ जाती है।

अतः आग्रह किया जाता है कि उक्त JPO के अनुसार लॉट फार्मेशन करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा सभी सम्बंधित को इसके अनुसार कार्य करने के लिए शिक्षित किया जाये।

(महेश सिंह)
उपमुसताधि/भंडार
कृते महाप्रबंधक सतर्कता

प्रतिलिपि :-

प्रमुख मुख्य इंजीनियर 1.0, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान वित्त सलाहकार 2.0, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(महेश सिंह)
उपमुसताधि/भंडार
कृते महाप्रबंधक सतर्कता

पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

Office of
General Manager/Vigilance
Gorakhpur-273012



कार्यालय
महाप्रबन्धक / सतर्कता
गोरखपुर – 273 012

No.Z/13/V6/2019/10/01331

Dated- 5.8.2020

Principal Chief Electrical Engineer,
North Eastern Railway,
Gorakhpur.

Sub: System Improvement regarding Warranty clause for procurement of LED lights.

A Vigilance check was earlier conducted on non-stock procurement of LED lights by IZN workshop for use in passenger coaches as per specification no. ICF/Elec/960 (Rev-0). The specification states that "LED tube light shall have replacement guarantee for a period of 60/66 months". But it was observed that the firm had submitted only a 24/30 months Guarantee certificate as per standard IRS condition. To prevent such a discrepancy in guarantee/warranty condition it is advisable that:-

1. Consignee's Indent for LED lights, should specifically mention the required warranty clause in description of the material itself.
2. The purchase officer should take note of the warranty period mentioned in the Indent and take care to mention this same in the P.O., wherever such warranty period is at variance to the IRS conditions.
3. The officer-incharge i.e. SrDEE/DEE-W should take necessary steps to disseminate the warranty terms to their subordinate officers/staff so that they are able to make warranty claims accordingly.

This issues with the approval of SDGM.

(Ajitendra Tripathi)
Dy CVO/Elect.
For SDGM/ NER/ GKP

Copy to :-

1. Principal Chief Material Manager,NER, Gorakhpur

पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

Office of
General Manager/Vigilance
Gorakhpur-273012



कार्यालय
महाप्रबन्धक/सतर्कता
गोरखपुर – 273 012

सं. डी.एम.आर./वाणिज्य/2020/02/00374/पद्धति सुधार

मंडल रेल प्रबंधक (वाणिज्य),
पूर्वोत्तर रेलवे,
वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर मंडल।

विषय: डी.एम.आर. पंजिका में sign ON/OFF करते समय अपने नाम के सम्मुख पूरा हस्ताक्षर किए जाने के कार्य में पद्धति सुधार (system improvement) के संबंध में।

सतर्कता संगठन द्वारा सी.टी.टी.आई कार्यालयों में किए गए विभिन्न निवारक जॉचों में पाया गया है कि डी.एम.आर. पंजिका में अधिकांश चल टिकट निरीक्षकों द्वारा sign ON/OFF करते समय अपने नाम के सम्मुख अपना हस्ताक्षर CAPITAL LETTERS के शार्ट फार्म में (जैसे— N.A , S.S आदि) अथवा अपना अस्पष्ट initial हस्ताक्षर किया जा रहा है। उक्त से इस बात की प्रबल संभावना है कि वे गाड़ी में ड्यूटी पर न जाते हों और अपना हस्ताक्षर उनके सहकर्मी द्वारा डी.एम.आर. पंजिका में sign ON/ OFF कर उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

उक्त के आलोक में पूर्वोत्तर रेलवे में सी.टी.आई कार्यालयों में रखे गए डी.एम.आर. पंजिका में sign ON/OFF करते समय निम्न "पद्धति सुधार (system improvement)" की अनुशंसा की जाती है :-

- सी.टी.आई कार्यालयों में रखे गए sign ON/ OFF तथा डी.एम.आर. पंजिका में चल टिकट परीक्षकों द्वारा अपने नाम के सम्मुख अपने पूरे नाम का हस्ताक्षर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में किया जाए।

उक्त के आलोक में सुझाए गए "पद्धति सुधार (system improvement)" को तत्काल प्रभाव से लागू कराया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं कृत कार्रवाई से इस कार्यालय को भी अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

(जे०पी०सिंह)
उप मुसताधि/याता०
कृते महाप्रबन्धक/सतर्कता



डब्लू /38 /आवास /सामान्य /भाग-XVI/डब्लू-2

दिनांक: 21/10/2020

बाहरी आवासों के अधिग्रहण एवं इनके बंगले के साथ सम्बद्ध किये जाने हेतु नीति निर्धारण के सम्बन्ध में ।

(संदर्भ :- उपमुसताधि का पत्र सं .इंजी/..जेड112/कम्प/2018/एसएस/13/ दिनांक28.05.2019 :)

- 1.0 गोरखपुर में वर्तमान में नानपूल्ड अधिकारी आवासों को छोड़कर लगभग अधिकारी आवास 240 हैं, जिन्हें पांच पूल में वितरित किया गया है ।
- 1.1 देखा गया है कि समय-समय पर HAG पूल के बंगलों में SAG अधिकारी रहते हैं तथा कुछ SAG अधिकारी JAG पूल के आवासों में भी रहते हैं । इसी प्रकार SAG पूल का आवास खाली होने पर उनमें JAG अधिकारी भी रहते हैं । अतः ऐसी स्थिति में यह बेहतर होगा कि : JAG पूल, SAG पूल व HAG पूल में बाहरी आवासों की एक समान सीमा निर्धारित की जाय । वर्तमान में कुछ SAG व HAG पूल के आवासों में एक भी बाहरी आवास सम्बद्ध नहीं है । जबकि कुछेक बंगलों में अधिक बाहरी आवास संबद्ध है । अतः ऐसी स्थिति में अतिरिक्त बाहरी आवासों को बिना बाहरी आवासों वाले उन बंगलों से संबद्ध किया जाय जो बंगलों के मीटर के दायरे में आते हों । 250
- 1.2 वर्तमान में SS/JS पूल में अधिकतर आवासों में बाहरी आवास संबद्ध नहीं है । उप मुख्य इंजी० :गो०क्षे० इकाई में बाहरी आवासों की संख्या काफी है । अतः HAG SAG व JAG पूल के बंगलों से बाहरी आवासों को संबद्ध करने के उपरान्त जो बाहरी आवास शेष बच जायें उन्हें SS/JS पूल के उन बंगलों से संबद्ध करना बेहतर होगा, जिनके साथ बाहरी आवास संबद्ध नहीं है और जो इन बंगलों के मीटर के दायरे में आते हों । 250
- 1.3 उपरोक्त के परिपेक्ष में विभिन्न पूल के आवासों के साथ निम्न प्रकार से बाहरी आवास संबद्ध किये जायें :-
(क) (HAG SAG व JAG पूल के आवास बाहरी आवास 4 अधिकतम -
(ख) (SS व JS पूल के आवास बाहरी आवास 2 अधिकतम -
- 1.4 अधिकारी आवास से संबद्ध बाहरी आवास अपरिवर्तनीय होंगे तथा इनका आवंटन अधिकारी आवास के साथ होगा ।
- 2.0 जब कोई भी अधिकारी बंगला अधिग्रहण करेगा या छोड़ेगा और जब तक अधिकारी बंगले में निवास करेगा उसे निम्न सुनिश्चित करना होगा --:
- 2.1 अधिकारी बंगले के अधिग्रहण के समय अपने बंगले से संबद्ध बाहरी आवास को भी अधिग्रहित करेगा ।

- 2.2 अधिकारी जिस भी व्यक्ति को बाहरी आवास में रहने की अनुमति प्रदान करेगा, उस व्यक्ति के आधार कार्ड की प्रति सत्यापित कर संबंधित सीकार्य को/.इं.से. एक पत्र के साथ उपलब्ध करायेगा और इस बात का आश्वासन देगा कि रहने वाला व्यक्ति उनका जानकार है ।
- 2.3 अधिकारी बंगले को खाली करेगा तो वे बंगला छोड़ने से पूर्व बाहरी आवास को खाली कराकर संबंधित सी कार्य को सूचित करेगा । बाहरी आवास खाली होने के बाद ही/.इं.से.बंगला खाली करने का प्रमाण पत्र संबंधित सीकार्य द्वारा दिया जायेगा ।/.इं.से.
- 2.4 अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बाहरी आवास में रहने वाला व्यक्ति परिसर का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन से ही करेगा ।
- 3.0 बंगलों के साथ संबद्ध बाहरी आवासों की मरम्मत व बिजली कनेक्शन हेतु निम्न का अनुपालन किया जायेगा --:
- 3.1 अधिकारी बंगलें के अधिग्रहण के समय बंगले के साथसाथ बाहरी आवास की रंगाई पुताई का भी - कार्य कराया जायेगा । नियमित रूप से इन बाहरी आवासों का भी मरम्मत कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।
- 3.2 प्रत्येक संबद्ध बाहरी आवासों के साथ अलग से बिजली कनेक्शन दिया जायेगा और जैसे बंगलों के मीटर रीडिंग ली जाती है वैसे ही बाहरी आवासों में खर्च होने वाली बिजली की रीडिंग ली जायेगी व उसकी कटौती बंगलें में रहने वाले अधिकारी के वेतन से सुनिश्चित की जायेगी ।
- 4.0 बाहरी आवास में रहने वाले व्यक्तियों का भौतिक सत्यापन सम्बंधित सीकार्य व /.इं.से. इं.से.सी./fo|qr द्वारा छमाह में एक बार किया जायेगा । किसी भी अनियमितता से संबंधित : अधिकारी को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु तत्काल अवगत कराया जायेगा ।
- 5.0 वर्तमान में तमाम बाहरी आवास तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के आवासों के साथ व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आवंटित है । इस सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही की जायेगी --:
- 5.1 तमाम ऐसे बाहरी आवास जो बंगलाधारकों द्वारा नहीं लिये गये हैं, उन्हें तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के लिए निर्धारित आवासों के साथ आवंटित किया जायेगा । इन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त कर खाली कराया जाय और ध्वस्त कर दिया जाये ।
- 5.2 कुछ तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के आवासों के साथ बाहरी आवास प्रारम्भ से ही संबद्ध है । इन बाहरी आवासों की कोई रेंट कटौती नहीं हो रही है । इन सभी बाहरी आवासों को रद्द करके इन्हें ध्वस्त किया जाय ।
- 5.3 वर्तमान समय में गोरखपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु आवासों की कोई कमी नहीं है । अतः : जो बाहरी आवास चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आवंटित है, उन्हें तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाय एवं इन्हें ध्वस्त कर दिया जाये । इन कर्मचारियों को खाली पड़े आवासों में आवास आवंटित किया जाय । भविष्य में किसी भी परिस्थिति में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को बाहरी आवास न आवंटित किया जाय ।
- 6.0 उपरोक्त मद सं. 1.0 के अनुसार बंगलों के साथ संबद्ध बाहरी आवास की विस्तृत सूची उपमुंड गो०क्षे०/द्वारा उप महाप्रबन्धकसामान्य को उपलब्ध करायी जायेगी । भविष्य में जो भी / बंगले आवंटित होंगे उसके साथ बाहरी आवास इस सूची के साथसंबद्ध किये जायेगें तथा इन बंगलों का किराया संबद्ध बाहरी आवास के किराये के साथ होगा ।

sd/-
उपमुंडगो०क्षे०/.

पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

Office of
General Manager/Vigilance
Gorakhpur-273012



कार्यालय
महाप्रबन्धक/सतर्कता
गोरखपुर – 273 012

No. W/68/Vig./Confid./Part-II/W-3(G)

Dated: 16.08.2019

Sub : कंक्रीट कार्य में प्रयोग किये जा रहे कोर्स एग्रीगेट एवं फाइन एग्रीगेट की ग्रेडिंग के संबंध में ।

(Ref : Dy.CVO/Engg. letter No. PC/V-3/2018/09/01746/439 dated 15.05.2019.)

1.0 In a vigilance check of a concreting work in a Division, it was observed that Gradation of Coarse and Fine Aggregates has not been ensured as per standard provisions. The supply of Coarse and Fine Aggregates were taken on different dates, but Gradation of Aggregates was tested initially only; in which it was found to be as per standard provisions. During the course of vigilance check, sample of Coarse Aggregates was tested and the sample was not found in accordance with standard provisions; even though the material was passed by respective officer in-charge.

2.0 This case brings out the facts that stipulations of Specifications were not adhered. The relevant provision of the relevant IS codes and other instructions are indicated below:

2.1 The Grading of **Fine and Coarse Aggregates** shall be checked, from the each Lot of material. For this, samples shall be selected and examined from each lot separately (*para 4.1 of IS 2430*).

Lot shall be defined as ***"The quantity of aggregates of the same class, nominal size, source and offered for inspection at one time. The lot may consist of the whole or a part of the quantity ordered for."*** (*para 2.5 of IS 2430*)

2.2 Weight of samples of the Aggregates to be taken for Sieve Analysis as well as Test procedure, has been given in detail in *para 2.3 to 2.5 of IS 2386 (Part-I)*, which should be strictly adhered to.

2.3 **Results of Sieve Analysis:** Percentage passing on respective sieve of Fine and Coarse Aggregate shall be calculated and reported as *cumulative percentage by weight of the total sample passing each of the sieves, to the nearest whole number (para 2.6 of IS 2386 Part I)*. Gradation of Fine

and Coarse Aggregate should be within the limits as described in *IS 383-2016 (refer Table-7 & 9)*.

- 2.4** Coarse and Fine Aggregates supplied in a Lot, whose Gradation are found in accordance with IS 383-2016 (*refer Table-7 & 9*), shall only be used for concreting work.
- 2.5** In case the Gradation of Aggregates is not found within the prescribed limits, material supplied in the same lot shall be rejected and respective stacks shall be earmarked for removal from site.
- 2.6** Any further supply of **Fine and Coarse Aggregates** shall be taken at separate location with respect to earlier passed stacks of Aggregates, so that fresh supply of Aggregates may not get mixed with already passed quantity of the Aggregates.
- 3.0** In View of the above, it is directed that Gradation of Coarse and Fine Aggregates shall be ensured in accordance with IS-383, throughout the concreting process in a work and strictly following the provisions indicated in para 2.0 above.

sd/-

C.P.D.E./NER

For General Manager/Engg.

पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

Office of
General Manager/Vigilance
Gorakhpur-273012



कार्यालय
महाप्रबन्धक/सतर्कता
गोरखपुर – 273 012

No. 2019/09/01613/PC/

Dt 05.06.2020

प्रमुख मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजी
पूर्वोत्तर रेलवे,
गोरखपुर ।

विषय:—वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध (AMC) में ठेकेदार द्वारा स्टेशनों पर
अनुरक्षण कर्मचारी (Maintenance staff) पदस्थापित करने के
सम्बन्ध में पद्धति सुधार।

विगत कुछ सतर्कता जाँचों में पाया गया कि विभिन्न S&T Gears के रखरखाव हेतु किये जाने वाले वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्धों (AMCs) में फर्म द्वारा अनुबंध में निर्धारित स्टेशनों पर अपने प्रतिनिधि को पदस्थापित नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण उक्त S&T Gears के रखरखाव समय से एवं सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। साथ ही उक्त S&T Gears के विफलता होने पर उसे ठीक करने के लिए फर्म के प्रतिनिधि समय से नहीं पहुँच पाते, जिसके कारण S&T Gears के विफलता को ठीक करने में निर्धारित समय से अधिक समय लगता है। जाँच में पाया गया कि फर्म द्वारा अनुबंध में निर्धारित स्टेशनों पर अपने प्रतिनिधि को पदस्थापित नहीं करने पर करारनामा में किसी तरह के दण्ड/पेनाल्टी का प्रावधान नहीं रहता है। अतः फर्म द्वारा अनुबंध में निर्धारित स्टेशनों पर अपने प्रतिनिधि को पदस्थापित करने में मनमानी किया जा रहा है।

उपरोक्त को देखते हुये सतर्कता विभाग द्वारा सलाह दी जाती है कि विभिन्न AMCs के तहत फर्म द्वारा अनुबंध में अंकित स्टेशनों पर अपने प्रतिनिधि को पदस्थापित नहीं किये जाने की दशा में करारनामा में दण्ड/पेनाल्टी का प्रावधान किया जाय।

कृपया कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायें ।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(अजितेन्द्र त्रिपाठी)
उपमुख्यताधि/विद्युत
कृते महाप्रबन्धक /सर्तकता

पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

Office of
General Manager/Vigilance
Gorakhpur-273012



कार्यालय
महाप्रबन्धक/सतर्कता
गोरखपुर – 273 012

No. 2019/09/01613/PC/

Dt 05.06.2020

प्रमुख मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजी
पूर्वोत्तर रेलवे,
गोरखपुर ।

विषय:—विद्युतीकृत स्टेशनों पर सिगनलिंग उपकरणों हेतु प्रदत्त जेनरेटरों से
सम्बन्धित पद्धति सुधार ।

एक सतर्कता जॉच में पाया गया कि वाराणसी मण्डल के विभिन्न खण्ड के विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेन परिचालन हेतु S&T Gears को निरन्तर सप्लाई देने हेतु जेनरेटरों की संख्या को खण्ड के 25 केवी से विद्युतीकृत (स्टेशनो पर AT supply प्राप्त होने के बाद) हो जाने के बाद भी AC Traction Manual के अनुसार कम नहीं किया गया। जिसके कारण इन अतिरिक्त जेनरेटरों के रखरखाव पर भी AMC के कारण अतिरिक्त रेल राजस्व का व्यय हो रहा है। जिसे कम किया जा सकता है। वर्तमान में 25 केवी रेल विद्युतीकृत खण्डों में स्टेशनों पर AT Supply/Commercial supply/IPS उपलब्ध होने के कारण इन जेनरेटर का संचालन लगभग निल है। IPS का बैंक अप भी लगभग 03 घण्टे से अधिक का होता है।

उपरोक्त को देखते हुये सतर्कता विभाग द्वारा सलाह दी जाती है कि पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न खण्डों के स्टेशनों के S&T Gears को सप्लाई देने हेतु प्रयुक्त जेनरेटरों की संख्या को खण्ड के 25 केवी रेल विद्युतीकृत (स्टेशनो पर AT supply प्राप्त होने के बाद) हो जाने के बाद AC Traction Manual के अनुसार जेनरेटरों की संख्या को कम किया जाना सुनिश्चित किया जाय। जिससे इन जेनरेटरों के रखरखाव हेतु होने वाले रेल राजस्व का अतिरिक्त व्यय कम किया जा सकें।

कृपया कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायें ।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(अजितेन्द्र त्रिपाठी)
उपमुख्यताधि/विद्युत
कृते महाप्रबन्धक /सर्तकता

पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

Office of
General Manager/Vigilance
Gorakhpur-273012



कार्यालय
महाप्रबन्धक/सतर्कता
गोरखपुर – 273 012

No. Z/13/ NOC/2019/04/02314/PC

Date-02 .07.2020

प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक,
पूर्वोत्तर रेलवे,
गोरखपुर.

विषय :-चिकित्सा विभाग द्वारा जारी किये जा रहे सफाई टेंडर की 'Minimum Eligibility Criteria' के सम्बन्ध में।

.....

एक सतर्कता जांच के क्रम में संज्ञान में आया है कि चिकित्सा विभाग द्वारा जारी किए जा रहे सफाई टेंडर में 'Similar nature of work' को चिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा परिभाषित नहीं किया गया था, जिसके कारण टेंडर में शामिल निविदाकारों के 'Minimum Eligibility Criteria' का मूल्यांकन सही प्रकार से नहीं किया जा सका था। रेलवे बोर्ड ने पत्र संख्या 2012/CE-I/CT/0/5, दिनांक 09.04.2012 (प्रति संलग्न) के माध्यम से स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि वर्क्स टेंडर में 'Minimum Eligibility Criteria' के 'Similar nature of work' को संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा परिभाषित किया जाएगा। कृपया रेलवे बोर्ड के उक्त पत्र के अनुपालन में चिकित्सा विभाग द्वारा जारी किए जा रहे सफाई टेंडर में 'Similar nature of work' को चिकित्सा विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा परिभाषित किया जाए, ताकि उक्त टेंडर्स में शामिल निविदाकारों का 'Minimum Eligibility Criteria' के आधार पर सही-सही मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके। कृपया कृत कार्यवाही से सतर्कता विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(महेश सिंह)
उपमुसताधि/भण्डार
कृते महाप्रबंधक सतर्कता

पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

Office of
General Manager/Vigilance
Gorakhpur-273012



कार्यालय
महाप्रबन्धक / सतर्कता
गोरखपुर – 273 012

No. V7/2019/01/00305

Date: 20.05.19

प्रमुख मुख्य यंत्रिक इंजीनियर
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

Subject: - system improvement

गोंडा जंक्शन प्लेटफॉर्म पर करारनामा के तहत कराये जा रहे Semi Mechanized Cleaning कार्यों को संज्ञान में लेकर सतर्कता निवारक जाँच किया गया । जांच के दौरान निम्नलिखित अनियमिततायें पायी गयी :

क्र.सं.	प्राप्त अनियमितताएं	पद्धति सुधार हेतु सुझाव
1	ठेकेदार के कर्मचारियों का PF एवम ESI की कटौती नहीं किया जाना पाया गया I	करारनामा के Scope of Work के पैरा 41में वर्णित "Provision of Employees Provident fund and Miscellaneous Provision Act, 1952" के अनुसार कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा हेतु PF. एवम ESI की कटौती करना सुनिश्चित कराया जाय I
2	करारनामा के अनुसार Consumables/T&P की सप्लाई निर्धारित प्रतिमाह खपत के अनुसार नहीं पाया गया I	करारनामा के Special Terms & Condition के पैरा 34 में निम्न वर्णित है "The Contractor shall make arrangement to stock the quantity of all types of Chemicals for a month in advance in the custody of Railway and Firm's Representative." अतः फर्म द्वारा प्रतिमाह खपत के अनुसार Consumables/T&P की सप्लाई किया जाना सुनिश्चित कराया जाय I
3	CHI/HI/GD द्वारा Consumables दिये जाने और कहाँ प्रयोग किया गया इसका भौतिक सत्यापन और Consumables का accountal चेक करके रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं किया जाना पाया गया, केवल फर्म प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किया जाना पाया गया I	करारनामा के Special Terms & Condition के पैरा 34 में निम्न वर्णित है "Railway representative shall check the stock of various cleaning chemicals/agents/compounds/materials and also their adequacy of materials to be used for the day along with sufficient records in this regard. The authorized representative shall exercise supervision to ensure that the Chemicals/materials are actually used as per the scales for which the contractor shall cooperate." Consumables/Materials दिये जाने और कहाँ प्रयोग किया गया इसका भौतिक सत्यापन और accountal चेक करके रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं किये जाने से Re-cycle की पूरी संभावना हो सकती है I अतः Consumables/Material का भौतिक सत्यापन, material कहाँ प्रयोग किया गया इसका सत्यापन और Consumables का accountal चेक करके रजिस्टर पर हस्ताक्षर किया जाना सुनिश्चित कराया जाय I
4	मशीन Breakdown रजिस्टर उपलब्ध नहीं पाया गया I	करारनामा के Special condition of contract के Point 44(vii) में वर्णित है कि 'Machine Log Book/Machine Breakdown and repair register' ठेकेदार के प्रतिनिधि द्वारा मेन्टेन किया जायेगा और CHI/HI द्वारा इसे Ensured किया जायेगा I मशीन Breakdown सम्बंधित केवल शिफ्ट वाइज रजिस्टर में Working/Not Working दर्शाये जाने से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मशीन कब खराब हुआ, कितने दिन Breakdown रहा और कब ठीक हुआ क्योंकि कभी कभी किसी शिफ्ट में Working कभी कभी Not Working लिख गया है I अतः ब्रेकडाउन रजिस्टर बनवाया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए I

कृपया, उपरोक्त वर्णित सुझावों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से सतर्कता संगठन को अवगत कराया जाना अपेक्षित है ।

(J.R.S. Singh)
Dy-CVO/Mech

Copy to : Sr.DME/C&W/LJN, For necessary action please.

पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

Office of
General Manager/Vigilance
Gorakhpur-273012



कार्यालय
महाप्रबन्धक/सतर्कता
गोरखपुर – 273 012

No. Z/13/ NOC/2019/05/01451/PC/30

Date- 03.10.2020

प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक,
पूर्वोत्तर रेलवे,
गोरखपुर.

विषय :- भोजन प्रभार की कटौती के सम्बन्ध में सुझाव ।

.....

एक सतर्कता जांच के क्रम में एक मंडल रेलवे चिकित्सालय में इंडोर पेशेंट्स को दी जाने वाली डाइट के 'डाइट चार्ज' के भुगतान को संज्ञान में लेकर की गई जांच में पाया गया कि :-

1. किसी भी BHT(बेड हेड टिकट) में संबंधित नर्सिंग स्टाफ द्वारा डाइट के संबंध में पूर्ण जानकारी नहीं भरी गई थी, जिसमें मुख्य रूप से पेशेंट द्वारा चिकित्सालय में उपलब्ध तीन प्रकार के भोजन में से कौन सा भोजन लिया गया है; इसकी जानकारी BHT पर अंकित नहीं थी। परिणामस्वरूप निरामिष भोजन के अलावा अन्य प्रकार का भोजन (खिचड़ी या मिल्क डाइट) लेने वाले सभी पेशेंट्स से निरामिष भोजन के चार्ज की कटौती की गई थी।
2. कुछ BHT(बेड हेड टिकट) में नर्सिंग स्टाफ द्वारा पेशेंट ने कब से कब तक हॉस्पिटल से डाइट लिया इसका डिटेल नहीं भरा गया था, परिणामस्वरूप डाइट चार्ज को सही गणना न हो पाने के कारण रेल राजस्व हानि की संभावना उत्पन्न हुयी।
3. भारतीय रेलवे चिकित्सा नियमावली-2000 के पैरा संख्या 641.(B).(d).(viii) के अनुसार, "Any patient from whom charges are to be levied for diet and who takes diet from the hospital, may be charged for the full day if he/she has been admitted before 12.00 hours in any particular day and only half diet charges if he/she has been admitted after 12.00 hours." डाइट चार्ज की गणना के समय उक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा था।

अतः सुझाव दिया जाता है कि:-

- I. BHT(बेड हेड टिकट) मे इंडोर पेशेंट्स द्वारा ली जा रही डाइट की पूरी जानकारी अंकित की जाए। जिसमें मुख्य रूप से यह अंकित किया जाए कि इंडोर पेशेंट्स द्वारा किस प्रकार की व कितने दिन तक, डाइट रेलवे चिकित्सालय से ली गयी थी, ताकि तदनुसार ही; सही डाइट चार्ज की कटौती सुनिश्चित की जा सके।
- II. भारतीय रेलवे चिकित्सा नियमावली -2000 के पैरा संख्या 641.(B).(d).(viii) का पालन सुनिश्चित करते हुए दिन में 12:00 बजे के पूर्व आए हुए पेशेंट्स से पूरे दिन का व दिन में 12:00 बजे के बाद आए हुए पेशेंट्स से आधे दिन का डाइट चार्ट लिया जाए एवं उक्त के अनुसार ही पेशेंट के डिस्चार्ज के दिन भी समयानुसार डाइट चार्ज लिया जाए।

कृपया रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2005/H/23/6, दिनांक 13.06.2018 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए; उक्त सभी सुझावों को नियमानुसार लागू किए जाने हेतु उक्त मंडल रेलवे चिकित्सालय को निर्देशित करें। साथ ही अन्य चिकित्सालयों को भी उक्त प्रकार की कमियों से बचाव हेतु निर्देशित करें, ताकि भविष्य में भोजन प्रभार की कटौती में हो रही उक्त प्रकार की कमियों से बचा जा सके। कृपया कृत कार्यवाही से सतर्कता विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

(महेश सिंह)
उपमुसताधि/भण्डार
कृते महाप्रबंधक सतर्कता

प्रतिलिपि:- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मंडल रेलवे चिकित्सालय।

(महेश सिंह)
उपमुसताधि/भण्डार
कृते महाप्रबंधक सतर्कता

पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

Office of
General Manager/Vigilance
Gorakhpur-273012



कार्यालय
महाप्रबन्धक / सतर्कता
गोरखपुर - 273 012

No.Z/13/SS/CVO-II/2016/34/PC/2020/03

Dt 19.02.2020

प्रमुख मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजी
पूर्वोत्तर रेलवे,
गोरखपुर ।

विषय:- Schedule of work से सम्बन्धित पद्धति सुधार ।

एक सतर्कता जॉच में पाया गया कि करारनामा के Schedule of work में High Value Item का सप्लाय तथा स्थापना का मद अलग-अलग होने के कारण फर्म द्वारा High Value Item की आपूर्ति कर कुल Contract का 65% का भुगतान प्राप्त कर लिया गया। तत्पश्चात फर्म द्वारा उपकरणों की स्थापना का कार्य पूर्ण करने में रुचि नहीं दिखायी गई। जिसके कारण High Value Item काफी समय तक स्टोर में अप्रयुक्त पड़े रहे।

उपरोक्त को देखते हुये सतर्कता विभाग द्वारा सलाह दी जाती है कि जहाँ तक व्यावहारिक हो, करारनामा के Schedule of work में High Value Item का सप्लाय तथा स्थापना का मद अलग-अलग न करके एक साथ ही रखा जाय।

कृपया कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायें ।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(अजितेन्द्र त्रिपाठी)
उपमुख्यताधि / विद्युत
कृते महाप्रबन्धक / सतर्कता

पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

Office of
General Manager/Vigilance
Gorakhpur-273012



कार्यालय
महाप्रबन्धक / सतर्कता
गोरखपुर – 273 012

No. Z/13/SS/CVO-II/2019/24/PC

Date-12.05.2020

सभी विभागाध्यक्ष,
पूर्वोत्तर रेलवे,
गोरखपुर.

विषय :-रेलवे कर्मचारियों की चिकित्सा परीक्षा के सम्बन्ध में।

एक सतर्कता जाँच के क्रम में निम्न तथ्य संज्ञान में आये हैं :-

मेडिकल बोर्ड द्वारा दिनांक 02.08.17 को एक ट्रैकमैटेनर को "Unfit in Aye/three & Bee/one medical category, but fit in Bee/Two and Below" घोषित कर, दिनांक 02.08.17 को उक्त ट्रैकमैटेनर के पक्ष में 'Certificate of Recommendation For Alternate Employment on Medical Grounds'(AEMG) जारी किया गया था। अर्थात् उक्त व्यक्ति को ट्रैकमैटेनर के पद के 'अयोग्य' घोषित करते हुए उसे चिकित्सा परीक्षा के आधार पर वैकल्पिक रोजगार की अनुशंसा मेडिकल बोर्ड द्वारा की गयी थी। परन्तु पाया गया है कि दिनांक 25.06.2019 (अयोग्य घोषित किये जाने के बाद भी लगभग 02 वर्ष तक) तक स्वयं एवं अपने सहकर्मियों की संरक्षा को खतरे में डालते हुए, यह व्यक्ति ट्रैकमैटेनर के पद पर ही कार्यरत रहा था। जाहिर है उक्त व्यक्ति के लिए जारी 'Certificate of Recommendation For Alternate Employment on Medical Grounds' (AEMG) को उसके विभाग द्वारा संज्ञान में नहीं लिया गया था।

अतः सुझाव दिया जाता है कि :-

यदि किसी भी कर्मचारी के पक्ष में 'Certificate of Recommendation For Alternate Employment on Medical Grounds(AEMG)' जारी कर दिया जाये तो उक्त प्रमाणपत्र को तत्काल संज्ञान में लेते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। कृपया कृत कार्यवाही से सतर्कता विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

उक्त पर वउमप्र महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(महेश सिंह)
उपमुख्यताधि/भण्डार
कृते महाप्रबंधक सतर्कता

पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

Office of
General Manager/Vigilance
Gorakhpur-273012



कार्यालय
महाप्रबन्धक/सतर्कता
गोरखपुर – 273 012

सं. जेड/13/वी.4/2019/05/02400/पी.सी.

दिनांक: .07.2019

- (1) प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर ।
- (2) मंडल रेल प्रबन्धक
पूउरे/लखनऊ, इज्जतनगर
एवं वाराणसी

विषय :- स्कूटर/कम्प्यूटर अग्रिम के मद में लिए गए अग्रिम
के ब्याज कटौती करने के सम्बन्ध में ।

रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित Thrust Areas-2019 के आलोक में एक सतर्कता निवारक जांच में यह संज्ञान में आया है कि कर्मचारियों द्वारा स्कूटर/कम्प्यूटर अग्रिम के मूलधन की कटौती के बाद गणना शीट तैयार कराकर लेखा विभाग से गणना शीट की विधिक्षा समय से नहीं कराया जा रहा है, जिससे वर्तमान समय में । Pass में ब्याज एवं पैनल इन्टरेस्ट के मद में बकाया प्रदर्शित हो रहा है तथा कार्मिक एवं लेखा विभाग द्वारा इसकी मानिट्रिंग भी सही ढंग से नहीं की जा रही है ।

अतः अनुरोध है कि सभी सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित करना चाहें कि वे ऐसे कर्मचारियों जो पूर्व में स्कूटर/कम्प्यूटर एडवान्स लिए हो और उनके मूलधन की कटौती पूर्ण हो गयी हो, की सूची तैयार कर गणना शीट लेखा विभाग से विधिक्षित कराते हुए ब्याज एवं पैनल इन्टरेस्ट की बकाया धनराशि की कटौती करना सुनिश्चित करें तथा लेखा विभाग । Pass में अपना सस्पेन्स क्लीयर करना सुनिश्चित करे तथा कार्मिक एवं लेखा विभाग द्वारा प्रापर तरीके इसकी मानिट्रिंग सुनिश्चित किया जाय, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अनियमितता न होने पाए ।

(डा0 आर. के. भारती)
उप मुसताधि./लेखा
कृते महाप्रबन्धक/सतर्कता

पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

Office of
General Manager/Vigilance
Gorakhpur-273012



कार्यालय
महाप्रबन्धक / सतर्कता
गोरखपुर — 273 012

No. V7/2019/10/01826/PC

Date: 14.10.19

प्रमुख मुख्य यंत्रिक इंजीनियर
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

Subject: - system improvement

दिनांक 22.07.19 को ट्रेन नंबर 12538 में (वाराणसी से गोरखपुर सेक्शन के बीच) OBHS कार्यों को संज्ञान में लेकर सतर्कता निवारक जांच की गई। जांच में निम्नलिखित अनियमितताएं पायी गयी :-

1. दिनांक 22.07.19 को ट्रेन नं - 12538 में (वाराणसी से गोरखपुर के बीच) OBHS के कार्यों को संज्ञान में लेकर सतर्कता निवारक जांच किया गया। सतर्कता जांच में यह परिलक्षित हुआ कि Contract कार्य शुरू होने से दिनांक 04.10.18 तक ट्रेन सं 12538/37 में CBC rake के साथ 04 नं Reserved कोच थे। उस समय 04 नं कोच के अनुसार ही सभी Equipments/Tools एवं Materials दिये गये थे। लेकिन दिनांक 05.10.18 के बाद जब LHB rake हो गयी थी तब इसमें Reserved कोचों की संख्या 08 नं हो गयी थी। उसके बाद भी Materials 04 नं कोच के अनुसार दिया जाना पाया गया।
2. सतर्कता जांच में यह भी परिलक्षित हुआ कि इस बदलाव की जानकारी सभी अधीनस्थ पर्यवेक्षकों के संज्ञान में नहीं था।

Contract agreement में Terms & Conditions के अन्तर्गत यह प्राविधान रहता है कि यदि भविष्य में किसी Train के Coach combination में बदलाव होता है तो उसी के अनुसार कौन कौन सा Equipments/Tools एवं Materials/Consumables की extra आवश्यकता होगी इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है। कृपया इस संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाये कि इसका कोचिंग डिपो में लिखित आदेश जारी करे और सभी पर्यवेक्षकों को सूचित कराया जाये, जिससे कि भविष्य में इस तरह की अनियमितता न हो सके।

उपरोक्त वर्णित अनियमितताओं हेतु सिस्टम में सुधार कराया जाना सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से सतर्कता संगठन को अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

(J.R.S. Singh)
Dy-CVO/Mech

Copy to : Sr.DME/C&W/BSB, For necessary action please.

(J.R.S. Singh)
Dy-CVO/Mech
N.E. Railway, Gorakhpur

पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

Office of
General Manager/Vigilance
Gorakhpur-273012



कार्यालय
महाप्रबन्धक/सतर्कता
गोरखपुर – 273 012

सं०:जेड/13/वी 4/2018/09/00664/कम्प

दिनांक 20.05.2019

प्रमुकाधि,
पूर्वोत्तररेलवे,
गोरखपुर।

विषय:—रेलकर्मचारी द्वारासेवाकाल के दौरानदूसरीपत्नी/पतिकानामसेवा अभिलेखों में दर्ज कराने के सम्बंध में।

एक परिवार की जांचमें यह तथ्य प्रकाशमेंआयाहैकि एक रेलकर्मचारीनेपहलीपत्नीकी मृत्यु के बाद,सेवाकालमेंहीएक अन्य महिला से दूसरी शादी कर लिया था और कर्मचारी के आवेदन पर प्रशासन द्वारादूसरीपत्नीनाम समस्त सेवा अभिलेखों में दर्ज करने का आदेश दे दिया गया था।प्रशासनकाअनुमोदनमिलने के बादरेलकर्मचारीनेनामनफार्म सं० पू०उ०/पी०आई०५(संशोधित)भरकर दूसरी पत्नी को प्रथम नामित व्यक्ति के रूप में नामित भी कर दिया था।

कर्मचारी की सेवाकालमेंमृत्यु हो जाने पर दूसरी पत्नी के पक्ष में समापक भुगतान तथा पारिवारिक पेंशन जारी कर दिया गया था किन्तु इसी बीच पहली पत्नी के पुत्रद्वारा भी स्वयं के पक्ष में समापक भुगतान एवं अनुकम्पा नियुक्ति का अनुरोध किए जाने से मामला विवादित हो गया।मामला विवादित होनेसे प्रशासन द्वारा जांच कराने पर यह पायागयाकिरेल कर्मचारी की दूसरी पत्नी पहले से ही शादी शुदा थी और उन्होंने बिना विधिक तलाक के अपने पहले पति को छोड़कर रेल कर्मचारी के साथ शादी कर लिया था। इस प्रकार वह रेल कर्मचारी की विधिक पत्नी नहीं है।

अतः उपरोक्त के आलोक में निम्न प्रणाली सुधार की आवश्यकता प्रतीत होती है—

किसी रेल कर्मचारी द्वारा दूसरे विवाह की स्थिति में यदि वह दूसरे पति/पत्नीका नाम सेवा अभिलेखों में दर्ज करने का आग्रह करती/ करता है तो दूसरे पत्नी/पतिका नाम सेवा अभिलेखों यथा पास घोषणा पत्र/मेडिकल कार्ड आदिमें दर्ज करने का आदेश देने से पूर्व प्रशासन द्वारा आवश्यक सावधानी /चेक करने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि कर्मचारी द्वारा दूसरा विवाह करते समय रेल सेवा आचरण नियम का पालन किया गया है।

इस सम्बंध में कार्मिक विभाग द्वारा विद्यमान नियमों पर विचार करते हुए आवश्यक प्रणाली सुधार जारी किया जाये।

(डा० आर० के० भारती)
उपमुसताधि/लेखा

सतर्कता जागरूकता अभियान

सजगता-सुरक्षित यात्रा की कुंजी

यात्री बन्धु, कृपया ध्यान दें!



आरक्षित टिकटों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ

- टिकट खरीदते समय अंकित मूल्य से अधिक पैसे न दें।
- टिकट खरीदने के तुरंत बाद अपने टिकट विवरण की जाँच अवश्य कर लें।
- टिकट रेलवे द्वारा निर्धारित खिड़की अथवा अधिकृत एजेंट से ही खरीदें।
- स्टेशन परिसर एवं ट्रेन में अपने टिकट को केवल रेलवे के सक्षम कर्मचारी/अधिकारी द्वारा ही माँगे जाने पर दिखाएँ/सुपूरद करें।
- यात्रा के दौरान आरक्षित श्रेणियों के यात्रियों को कैप पहचान पत्र रखना आवश्यक है अन्यथा उन्हें बिना टिकट माना जाएगा।
- टिकट संबंधित शिकायत के लिए 139 पर सूचित करें।
- E-Ticket हमेशा IRCTC के अधिकृत एजेंट से ही लें।
- प्रतीक्षा सूची के E-Ticket पर यात्रा करना अमान्य है।
- अपने नाम से जारी आरक्षित टिकट पर ही यात्रा करें।

आरक्षित टिकट में वर्णित निम्न तथ्यों की जाँच करें।

1. सेवा लेखा कोड एवं भारतीय रेल जीएसटी सं. एवं आपूर्तिकर्ता राज्य का कोड एवं नाम।
2. अद्वितीय 10 अंकों वाला पी.एन.आर.
3. गाडी संख्या
4. यात्रा की तिथि एवं दूरी (किमी में)
5. यात्रियों की संख्या (वयस्क एवं बच्चा)
6. मैचिंग ओरिजिनल प्रिंटेड एवं कम्प्यूटर द्वारा प्रिंटेड संख्या
7. यात्रा की श्रेणी
8. हिन्दी एवं अंग्रेजी में स्टेशन का नाम एवं कहाँ से कहाँ तक
9. कोच एवं बर्थ की संख्या तथा बर्थ का प्रकार
10. लिंग एवं उम्र
11. यात्रा का किराया
12. गाडी का नाम, यात्रा प्रारंभ करने वाले स्टेशन का नाम, यात्रा प्रारंभ करने वाले स्टेशन से प्रस्थान एवं गंतव्य स्टेशन पर पहुँचने की तिथि एवं समय।
13. टर्मिनल सं., टिकट जारी करने की तिथि एवं समय, टिकट जारी करने वाले स्टेशन का नाम (कोड में), खिड़की सं. एवं वरास्ता (वाया)
14. जीएसटी प्रतिशत का विवरण एवं रकम।



भ्रष्टाचार पर होगा प्रहार, तभी बनेगा देश महान।

“सतर्क भारत-समृद्ध भारत”



सतर्कता संगठन
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

27 अक्टूबर से 02 नवम्बर, 2020



फर्जी वेबसाइट से सावधान !

इन्टरनेट पर कुछ फर्जी वेबसाइट भी हैं।

आश्चर्य हो लें कि वेबसाइट सही है, तभी उसका प्रयोग करें।

रेलवे भर्ती बोर्ड, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के नाम से
मिलते जुलते कुछ फर्जी वेबसाइट चलाए जा रहे हैं।

इस संस्थान
की सही
वेबसाइट
इस प्रकार है

रेलवे भर्ती बोर्ड, गोरखपुर ► www.rrbgkp.gov.in



सही वेबसाइट इस्तेमाल करें,
फर्जीवाड़े से बचें।



सतर्कता संगठन
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

Case Study-1

स्टेशन पर सिग्नलिंग कार्य हेतु लगे डीजल जेनरेटर के अनुरक्षण हेतु AMC में अनिमित्यता ।

अनूप कुमार,
मुसतानि/सिग.

पूर्वोत्तर रेलवे के एक मण्डल में स्टेशनों पर सिग्नलिंग कार्य हेतु लगे जेनरेटर के वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध को संज्ञान में लेकर सतर्कता जाँच किया गया। जाँच में पाया गया कि स्टेशन पर जेनरेटर के अनुरक्षण कार्य किये जाने के सम्बन्ध में कोई लागबुक या विवरण नहीं पाया गया। साथ ही स्टेशन पर जेनरेटर के संचालन समय के विवरण के सम्बन्ध में कोई लागबुक नहीं पाया गया। साइट पर ऐसा कोई लागबुक नहीं पाया गया, जिसके द्वारा डी-जी सेट के संचालन समय की निगरानी हो रही हो। जिससे कि सही समय पर फर्म द्वारा **250 hrs/3 months, 500 hrs/6 months, 1000 hrs/overhauling** के तहत किये जाने वाले जेनरेटर के अनुरक्षण कार्य सही समय पर किये जा सकें। ऑफिस के सुपरवाइजर द्वारा AMC से सम्बन्धित करारनामा की प्रति साइट सुपरवाइजर को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। जिसके कारण स्टेशन के साइट सुपरवाइजर को जेनरेटर के AMC से सम्बन्धित अनुरक्षण/विफलता के नियम एवं शर्तों के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। साइट सुपरवाइजर द्वारा भी इस AMC से सम्बन्धित अनुरक्षण/विफलता के नियम एवं शर्तों के विषय में अपने स्तर से जानकारी प्राप्त करने का कोई सकारात्मक प्रयास नहीं किया गया। स्टेशन पर जेनरेटर के विफलता होने, फर्म को सूचना देने, विफलता अटैण्ड करने एवं ठीक करने के सम्बन्ध में कोई लागबुक या विवरण नहीं पाया गया।

स्टेशनों पर सिग्नलिंग कार्य हेतु लगे जेनरेटर की संख्या एसी कर्षण अनुरक्षण नियमावली के अनुसार AT सप्लाई प्राप्त होने के बाद समायोजित नहीं की गई। एसी कर्षण अनुरक्षण नियमावली के अनुसार 25 kVA AC से विद्युतीकृत दोहरी लाइन खण्डों में यदि दो AT की सप्लाई उपलब्ध है तो कोई जेनरेटर आवश्यक नहीं हैं। इकहरी लाइन खंड में यदि एक AT की सप्लाई उपलब्ध है तो मात्र एक जेनरेटर की आवश्यकता है। यदि स्टेशनों पर सिग्नलिंग कार्य हेतु लगे जेनरेटर की संख्या एसी कर्षण अनुरक्षण नियमावली के अनुसार AT supply प्राप्त होने के बाद समायोजित की गई होती तो AMC में जेनरेटर की संख्या कम होती, जिससे रेल राजस्व की बचत होती।

फर्म द्वारा AMC से सम्बन्धित करारनामा के नियम एवं शर्तों के तहत नियत जगहों पर अपने प्रतिनिधि/स्टाफ नियुक्त नहीं किये गए। जिसके कारण लगभग सभी

अनुरक्षण/विफलता समय से अटैण्ड नहीं किये गये। इसका एक कारण यह भी था कि 25 kVA AC क्षेत्रों में जेनरेटर के संचालन की आवश्यकता लगभग नहीं के बराबर है। क्योंकि 25 kVA AC क्षेत्र में पावर का बैक अप काफी अच्छा है। लगभग सभी स्टेशनों पर IPS लगा है जिसका बैक अप कम से कम 3 घण्टे होता है। जेनरेटरों के संचालन नगण्य होने के कारण फर्म एवं सुपरवाइजर द्वारा अनुरक्षण की खानापूर्ती की गई। इसके अतिरिक्त फर्म द्वारा कुछ विवरण ऐसा भी दर्ज किया गया है, जो फर्म द्वारा नहीं किया गया हैं। जिसे साइट सुपरवाइजर द्वारा टिप्पणी के साथ काट दिया गया है कि यह कार्य फर्म द्वारा नहीं किया गया है। एक दिन में 02 से 03 स्टेशनों का अनुरक्षण एवं ओवरहालिंग करने का विवरण भुगतान के समय दिखाया गया है। ऑफिस के सुपरवाइजर को सभी जानकारी होने एवं फर्म को ठीक से कार्य करने हेतु पत्र लिखने के बाद भी भुगतान के समय फर्म द्वारा विफलता ठीक करने में निर्धारित समय से काफी अधिक समय लेने के बावजूद पेनाल्टी के रूप में कोई कटौती नहीं की गई हैं। कुछ विफलता ऐसी भी मिलीं जिन्हें एक महीने बाद ठीक किया गया। बिल को साइट के सुपरवाइजर से सत्यापित नहीं कराया गया। AMC के तहत फर्म द्वारा जेनरेटर के अनुरक्षण का एवं विफलता अटैण्ड करने का कार्य करारनामा के अनुसार न करने के बावजूद फर्म के पक्ष में बिना पेनाल्टी के बिल का भुगतान किया जाना यह दर्शाता है कि ऑफिस सुपरवाइजर द्वारा फर्म को लाभ पहुँचाने का कार्य किया गया और अपने जिम्मेदारियों के निर्वहन में लापरवाही की गई। जेनरेटर के AMC कार्य के निष्पादन में पर्यवेक्षकों द्वारा जानबूझ कर लापरवाही बरती गई तथा फर्म द्वारा AMC कार्य के ठीक से नहीं कराए जाने के बावजूद इनके द्वारा फर्म के विरुद्ध कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। फर्म द्वारा AMC के कार्य को करारनामा के नियम एवं शर्तों के अनुसार नहीं करने के बावजूद बिना पेनाल्टी की कटौती किये प्रथम 5 तिमाही का भुगतान कर फर्म को लाभ पहुँचाने का प्रयास किया गया। उपरोक्त अनिमित्यता को रोकने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। जो कि सुपरवाइजर का पर्यवेक्षण कार्य है।

इस प्रकार सतर्कता जाँच में पाया गया कि :

- वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (AMC) के तहत फर्म द्वारा स्टेशनों के जेनरेटर के नियमित अनुरक्षण तथा विफलताओं को अनुबंध में अंकित निर्धारित अवधि के अनुसार अटैण्ड नहीं किया जा रहा था।
- पर्यवेक्षकों द्वारा स्टेशनों पर वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (AMC) से सम्बन्धित कोई भी रिकार्ड नहीं बनाया गया था।
- फर्म द्वारा अनुबंध में अंकित स्टेशनों पर अपने प्रतिनिधि को पद स्थापित नहीं किया गया था।
- फर्म द्वारा जेनरेटर के AMC के तहत अनुरक्षण/विफलता का कार्य करारनामा के नियम एवं शर्तों के अनुसार न करने के बावजूद भुगतान में पेनाल्टी की कटौती नहीं की गई।

- साथ ही सुपरवाइजर द्वारा लम्बे समय से किये जा रहे उपरोक्त अनिमियतता को रोकने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया।

उपरोक्त अनिमियतता के लिए सतर्कता विभाग की संतुति पर विभाग द्वारा जिम्मेदार रेल कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा फर्म के उपर पेनाल्टी लगाने के साथ करारनामे की अल्पावधि समाप्ति कर दी गई।

प्रति
दृष्ट

Case Study-2

Irregularities in GeM Contract

Kamlesh Kumar Verma
CVI/Store

- 1- A preventive check was conducted against complaint received on Vigilance Helpline regarding irregularity in three GeM contract issued through the Gem portal. Scrutiny was done into the three supply contracts.
- 2- In two of the contracts it was found that a number of technical bids were received in the GeM e-bidding but only one bid in each of the tender was declared “qualified” by the purchaser while rest were declared “disqualified”.
- 3- On the investigation it was found that out of the “disqualified” bidders many offers were identical to the offer declared “qualified”. Technical comments were also not taken by the Purchasing Officer from indenters on the bids received. Proper reasons for disqualification of the various offers were also not recorded in the relevant column.
- 4- In the third tender although comments of the technical dept were taken by the purchasing officer nonetheless only single offer was declared “qualified” by the purchaser out of several offers technically found suitable by the technical dept.
- 5- Therefore, it is observed that purchaser adopted arbitrary approach in assessing the technical suitability of the offers received in GeM e-bidding. Rates in one of the purchase case were also found quite higher than the contemporary rates prevailing on GeM for the item. Rate reasonability was not established by the purchaser in any of the case.
- 6- Thus many of the qualified offers were disqualified which is against the principle of public purchase and economy of the purchase was compromised as a consequence.

Suggestions:-

- 1- Technical suitability of offers may be got examined by the technical dept/indenter in detail.
- 2- Careful examination of offers should be carried out while assessing the technical suitability of various offers received. Since a number of parameters are mentioned in the technical offer, there are chances of skipping of the parameters.
- 3- Proper reasons should be recorded for the disqualification of the offers.
- 4- Rate reasonability should be assessed by the purchaser before accepting the offers. Rate reasonability should be preferably recorded while accepting the offer.

Case Study-3

विभिन्न स्टेशनों एवं समपार गेटों पर लगे Auto Changeover CLS पैनल की AMC में अनियमितता

**सोमचंद सिंह ,
मुसतानि/विद्युत**

पूर्वोत्तर रेलवे के एक मण्डल में स्टेशनों एवं समपार गेट्स पर सिग्नलिंग कार्य हेतु लगे Auto changeover के 2 वर्षीय अनुरक्षण अनुबंध को संज्ञान में लेकर सतर्कता जाँच किया गया। सतर्कता जाँच, अनुबंध की तारीख से 18 महीने बाद की गई। Auto Changeover CLS पैनल पर 3 अलग-अलग इनकमिंग विद्युत सप्लाई उपलब्ध रहती हैं। एक UP लाइन(OHE) A.T. की दूसरी Down लाइन (OHE)A.T. की एवं तीसरी लोकल सप्लाई, जो राज्य सरकार की होती हैं, उपलब्ध होती है। Auto Changeover CLS पैनल ऑटो मोड पर रखा जाता है। ऑटो मोड में यदि कोई एक इनकमिंग सप्लाई बाधित होती है तो दूसरी उपलब्ध इनकमिंग सप्लाई द्वारा अविरल सप्लाई Auto Changeover CLS पैनल द्वारा आगे भेजी जाती है। यदि तीनों इनकमिंग सप्लाई फेल हो जाती हैं तो सिग्नल विभाग द्वारा आई.पी.एस. द्वारा सप्लाई सिग्नल सिस्टम हेतु दी जाती है। Auto Changeover CLS पैनल का Auto-mode खराब होने की स्थिति में रोटरी स्विच द्वारा UP -A.T/Down -A.T या लोकल सप्लाई (LMS) पर सेट करके सप्लाई ली जाती है। लेकिन इस स्थिति में चयनित इनकमिंग सप्लाई फेल होने पर आगे की सप्लाई बाधित होती हैं, जब तक की पुनः रोटरी स्विच द्वारा UP -A.T / Down -A.T या लोकल सप्लाई (LMS) पर सेट नहीं किया जाता।

विषयगत AMC अनुबंध में माहवार रखरखाव एवं ब्रेकडाउन रखरखाव से संबंधित कार्य वर्णित थे। जाँच के दौरान, कार्य हेतु नामित SSE के पास से, एक फेलियर रजिस्टर उपलब्ध पाया गया। लेकिन फेलियर रजिस्टर में केवल 4 अदद प्रविष्टियां मिलीं। अनुबंध शर्त के अनुसार वर्णित था की फर्म के इंजीनियर द्वारा जिस भी स्टेशन पर माह-वार रखरखाव का काम किया जाएगा उस स्टेशन से संबंधित सेक्शन इंचार्ज या उसके नामित रेलवे कर्मचारी द्वारा रिकॉर्ड सत्यापित किया जाएगा, जिसे फर्म द्वारा बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन जाँच में केवल 2 माह की माह-वार रखरखाव रिपोर्ट, वो भी बहुत कम स्टेशनों की, उपलब्ध हुई। जाँच के दौरान पाया गया की फर्म को, कार्य हेतु नामित SSE की तरफ से, कई बार अनुबंध से संबंधित विभिन्न कमियों को वर्णित करते हुए शीघ्र उन कमियों को ठीक करने हेतु लिखा गया था। अनुबंध 2 वर्ष के लिए था एवं 18 माह के बाद सतर्कता जाँच की गई और पाया गया की विषयांकित अनुबंध के तहत बहुत कम कार्य फर्म द्वारा किया गया था। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सतर्कता जाँच का संज्ञान लेते हुए विषयगत अनुबंध से संबंधित PG एवं SD को जब्त कर लिया एवं नियमानुसार अनुबंध को समाप्त कर दिया गया।

Case Study-4

स्थानीय क्रय के माध्यम से खरीदे गए सीसीटीवी कैमरा के निरीक्षण में अनियमितता के सम्बन्ध में ।

आलोक कुमार त्रिपाठी
मुसतानि/सिग.

पूर्वोत्तर रेलवे के एक स्टोर डिपो में स्थानीय क्रय हेतु जारी किये गये कुछ P.O. की जांच किया गया। सीसीटीवी कैमरों के खरीद हेतु जारी P.O. की जांच में यह पाया गया कि उक्त की खरीद हेतु स्टोर डिपो द्वारा लिमिटेड टेन्डर जारी किया गया था। कार्यदायी फर्म द्वारा दिये गये प्रस्ताव में कैमरों के मेक एवं प्रकार का स्पष्ट उल्लेख किया गया था। सीसीटीवी कैमरों के खरीद के लिये जारी P.O. के अनुसार कैमरों का निरीक्षण Consignee द्वारा किया जाना था। सतर्कता जांच के दौरान Material Passing रजिस्टर मांगे जाने पर Consignee द्वारा यह स्वीकार किया गया कि Material Passing रजिस्टर नहीं बनाया गया है तथा मात्र फर्म के वितरण चालान पर मदों के प्राप्त होने की जानकारी दर्ज कर दिया जाता है । इस प्रकार Consignee Inspection किये जाने से सम्बंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी । प्राप्त कैमरों की जांच किया गया जिसमें यह पाया गया कि उक्त कैमरे P.O. में दर्ज मेक से अलग मेक के हैं तथा P.O. के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा Dome Type IP कैमरा दिया जाना चाहिये था किन्तु प्राप्त कैमरे I.P. कैमरे नहीं थे। सम्बन्धित Consignee द्वारा यह स्वीकार किया गया कि सीसीटीवी कैमरों के सम्बन्ध में उचित जानकारी न होने के कारण कैमरों का ठीक प्रकार से निरीक्षण नहीं किया जा सका तथा कार्यदायी संस्था को भुगतान की अनुशंसा कर दिया गया था । सतर्कता जांच के दौरान उक्त Consignee से सम्बंधित कुछ अन्य P.O. की जांच भी की गई। जांच में यह पाया गया कि कुछ मदों की वितरण अवधि समाप्त हो चुकी थी किन्तु फर्म द्वारा बिना वितरण अवधि को बढ़वाए मदों की आपूर्ति स्टोर डिपो को कर दिया गया था जिसे काफी समय पश्चात Consignee द्वारा स्वीकार कर लिया गया था । इस सम्बन्ध में स्टोर डिपो द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म को अभी भुगतान नहीं किया गया है तथा विलम्ब हेतु फर्म के भुगतान में कटौती कर दिया जायेगा। सीसीटीवी कैमरों के अतिरिक्त अन्य सभी मद जारी P. O. में उल्लिखित विवरण के अनुरूप पाए गये ।

अतः सीसीटीवी कैमरों के P.O के अनुसार मेक एवं प्रकार का नहीं होने के कारण तथा वितरण अवधि समाप्त हो जाने पश्चात् बिना अवधि बढ़वाए फर्म द्वारा आपूर्ति लिये जाने के कारण सतर्कता विभाग की संस्तुति पर विभाग द्वारा जिम्मेदार रेल कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई ।

Case Study-5

Irregularities/Suggestions of Contract Work in Mechanical Department

Adya Verma
CVI/Mech.

Irregularities found:-

- Railway officials are not aware regarding term & condition of Contract work.
- Attendance record being maintained by contractor himself but not verifying by railway official (Supervisor).
- Railway Supervisor does not maintain work register for monitoring of work evaluated by contractor.
- Short deployment of manpower by contractors.
- Staff engaged by contractor was not found in uniform & I-card prescribed in Contract Agreement.
- Staff engaged by contractor not being paid as per minimum wages.
- Consumables and Machine/Tools were not provided by contractors as per Contract Agreement.
- Work not started by contractors within specified time after issued of LOA.
- Work not completed within a period specified in Contract Agreement.
- Contract Agreement delayed by contractors.
- Outsourcing staffs wage payment is not done through Bank, also P.F. & E.S.I. not deducted.
- Private cash declaration was not found proper.

Suggestions:-

- Test check should be conducted by competent authority at suitable interval as per railway Board letter No. 2009/M(C)/165/6, Dt 4.01.2010.
- Contract Agreement copy should be made available to the concern official.
- Awareness programme should be organized at least in six month regarding term & conditions of contract work.
- Measurement Book should not be explicit and malicious.
- Statement of bank payment deduction of PF & ESI should be ensured during passing the bills.
- As per EPFO, Ministry of labor & Employment, Government of India, Wage payment of Outsourcing staff should be through bank, and PF & ESI deduction should be done to ensure the Social security of Outsourcing staff. So ensure above suggestion.
- Private cash should be declare as per Railway Board letter No. 2017/EnHM/15/8, dt: 06.12.18

Case Study-6

Violation of Eligibility Criteria

Rakesh Kumar Singh
CVI/Store

In course of preventive scrutiny of a high value stores tender case following facts were observed:

1. There existed no approved source for the item. **'Eligibility Criteria'** was mentioned in the tender as: **"Para 2.9 of Bid documents Ver-1 shall be applicable"**. Para 2.9 of the bid document laid down that when no approved sources exist then for being eligible for a regular (bulk) order(s), tenderer must have proven past performance as defined in para 2.9.1. As per Para 2.9.1 of the Bid Document Ver.1, bulk order is to be placed on the manufacturer or its authorized agent having proven past performance. Submission of Receipt notes/Proof of acceptance of material by consignee OR inspection certificates shall be taken in support of proven past performance.
2. But it has been observed that TC considered only the purchase orders placed on Tenderer **'X'** for the tendered item from various Zonal Railways as indicative of past performance, whereas tenderer had not submitted any substantial proof of supply (R-note, Inspection Certificate etc.) against any purchase order. TC recommended Tenderer **'X'** for placement of purchase order for full tendered quantity despite the fact that firm had no established past performance of the tendered item. TC recommendations were accepted by the TAA. Thus, in a way TC has infringed the **'Eligibility Criteria'** of the tender.

Suggestions:-

It is to be emphasized that eligibility criterion forms the basis for evaluation of offers therefore its deviation -- for whatsoever reason—can not be permitted/considered acceptable as it is against the principle of natural justice and invites criticism/complaint from different corners. Also, proven past performance enhances reliability of the supplier for future supplies which is the very purpose of stipulating such eligibility criteria in such high value tenders. In the subject case supplies were not received till date even quite after expiry of the delivery period. If other offers available for consideration are offering unreasonably higher rates, TC have other recourses available e.g. purchasing only small quantity for the immediate requirement or only the developmental quantity or even discharging the tender if considered right.

Case Study-7

ईएफटी. मे फ्रॉड (Fraud) के सम्बन्ध मे की गयी सतर्कता निवारक जॉच।

राजीव कुमार श्रीवास्तव
मुसतानि./याता.

एक स्रोत सूचना कि एक चल टिकट परीक्षक द्वारा अनुचित तरीके से धन प्राप्त करने के उद्देश्य से ईएफटी में मैनिपुलेशन कर कपटपूर्ण (Fraudulently) ढग से कार्य किया जा रहा है और रेल राजस्व को क्षति पहुँचायी जा रही है। उक्त के आलोक में कर्मचारी द्वारा प्रयुक्त ईएफटी की रिकार्ड प्रतियों को सीटीआई कार्यालय से तथा संबंधित ईएफटी की लेखा प्रतियों मय रिटर्न के साथ सविस/कोचिंग कार्यालय से सीज कर की गयी सतर्कता जॉच में पाया गया कि उक्त चल टिकट परीक्षक द्वारा गाड़ी में कार्य के दौरान यात्री प्रति के साथ बनायी गयी ईएफटी की मूल लेखा प्रति को मासिक रिटर्न के साथ लेखा कार्यालय को न भेजकर उसके स्थान पर मैनिपुलेटेड लेखा प्रति को भेजा गया है एवं यात्री प्रति के संगत रिकार्ड प्रति के स्थान पर मैनिपुलेटेड लेखा प्रति के ही अनुरूप रिकार्ड प्रति पर भी मैनिपुलेशन कर फ्राड (FRAUD) करके रेल राजस्व की हानि पहुँचायी गयी। उक्त मंषा की पूर्ति के उद्देश्य से कर्मचारी द्वारा निम्न युक्ति तथा क्रिया विधि (Modus operandi) को अपनाया गया है: —

युक्ति सं०-1

आरोपी कर्मचारी द्वारा ईएफटी.की लेखा एवं रिकार्ड प्रति को काल्पनिक रूप से बिना किसी के यात्री के, II class sitting के नाम पर LOW VALUE AMOUNT (₹15) में बनाया गया तथा लेखा प्रति में लेखांकित धनराशि (15) के अनुसार मासिक रिटर्न के साथ लेखा प्रति संलग्न कर लेखा कार्यालय भेजा गया, जबकि संबंधित ई.एफ.टी.की यात्री प्रति को **सादा (BLANK)** रखा गया, जिसे बाद में उस पर मैनिपुलेशन करके कही अन्यत्र प्रयोग करते हुए उसे दुरुपयोग में लाया गया।

युक्ति सं०-2

आरोपी कर्मचारी द्वारा ईएफटी. की लेखा, रिकार्ड एवं यात्री तीनों प्रतियों को बिना किसी यात्री के काल्पनिक रूप से निजी स्वार्थ पूर्ति के उद्देश्य से LOW VALUE AMOUNT (₹15 II class sitting) में बनाया गया तथा ईएफटी की लेखा प्रति में लेखांकित धनराशि (15) के अनुसार मासिक रिटर्न के साथ लेखा प्रति को संलग्न कर लेखा कार्यालय को भेजा गया, जबकि LOW VALUE AMOUNT (₹15) में ही बनायी गयी ई.एफ.टी.की यात्री प्रति पर मैनिपुलेशन करके उसका कही अन्यत्र प्रयोग करते हुए दुरुपयोग में लाया गया।

कर्मचारी द्वारा अपने कार्य के दौरान यात्री को जारी कर दी गयी यात्री प्रति के संगत लेखा प्रति व रिकार्ड प्रति में लेखांकित धनराशि को रेल राजस्व में न जमा करना पड़े, जिसे अपने पास रखा जा सके इसके लिए उपरोक्त युक्ति सं० 01 तथा युक्ति सं० 02 के तहत बनायी गयी ई.एफ.टी.की यात्री प्रति पर मैनिपुलेशन करके मैनिपुलेटेड लेखा प्रति बनाया गया तथा मासिक रिटर्न के साथ मूल लेखा प्रति के स्थान पर मैनिपुलेटेड लेखा प्रति को लेखा कार्यालय भेजा गया जबकि

यात्री को जारी की गयी यात्री प्रति के संगत रिकार्ड प्रति की पूर्ति पुनः **USED** रिकार्ड प्रति पर सिंगल साइड कार्बन लगाकर **overwrite** करके पूरा किया गया।

- (i) युक्ति सं० 01 के अर्न्तगत **सादा (BLANK)** रखी गयी ईएफटी की यात्री प्रति के ऊपर निम्न प्रकार से मैनिपुलेशन किया गया :- ईएफटी. क्रमांक, '**लेखा ACCOUNTS**' शब्द की छाया प्रति करा कर, संबंधित की छाया प्रति को ईएफटी की यात्री प्रति पर '**यात्री PASSENGER**' शब्द के ऊपर चिपकाकर, **Cash liability** के रूप में कम राशि लेखांकित करते हुए **Fraudulently** डबल साइड कार्बन के माध्यम से मैनिपुलेटेड लेखा प्रति बनाया गया।
- (ii) युक्ति सं० 02 के अर्न्तगत **LOW VALUE AMOUNT** प्रति (₹15) में बनायी गयी ईएफटी की यात्री प्रति के ऊपर निम्न प्रकार से मैनिपुलेशन किया गया— ई.एफ.टी.क्रमांक, '**लेखा ACCOUNTS**' शब्द की छाया प्रति करा कर संबंधित की छाया प्रति को ईएफटी की यात्री प्रति पर '**यात्री PASSENGER**' शब्द के ऊपर चिपकाकर, मैनिपुलेटेड लेखा प्रति (₹15) बनाया गया।
- (iii) उपरोक्त क्रम सं० (i) तथा (ii) के अनुसार बनायी गयी मैनिपुलेटेड लेखा प्रति में लेखांकित धन राशि के अनुरूप ही संगत ईएफटी की रिकार्ड प्रति को ईएफटी के विवरणों के साथ पुनः **overwrite** करके सिंगल साइड (**USED** रिकार्ड प्रति पर) लगाकर पूरा किया गया।
- (iv) मूल लेखा प्रति के स्थान पर बनायी गयी मैनिपुलेटेड लेखा प्रति तथा **overwrite** करके बनायी गयी संगत रिकार्ड प्रति में ईएफटी के विवरणों जैसे—यात्री का नाम, आबंटित बर्थ सं०, यात्री के हस्ताक्षर, टीटीआई के हस्ताक्षर, यात्रा टिकट सं०, **collected at station** इत्यादि में भिन्ता पायी गयी, यद्यपि दोनों प्रतियों में राशि को एक समान ही रखी गयी है।
- (v) जाँच में यह भी पाया गया कि कर्मचारी द्वारा युक्ति सं० 01 तथा युक्ति सं० 02 के अर्न्तगत **सादा (BLANK)** अथवा **LOW VALUE AMOUNT (₹15)** में बनायी गयी यात्री प्रति पर मैनिपुलेशन कर उसका दुरुपयोग अपने मूल रिकार्ड प्रति के स्थान पर भी रिकार्ड बुक में बाहर से पेस्ट करके किया गया है इस प्रकार मैनिपुलेटेड रिकार्ड प्रति के अनुरूप ही संबंधित की लेखा प्रति को **Fraudulently** रूप से बनाकर जारी किया गया है।

युक्ति सं०-3

अन्य चल टिकट परीक्षक द्वारा प्रयुक्त की जा चुकी ई.एफ.टी की रिकार्ड बुक जो कि संबंधित चल टिकट परीक्षकों द्वारा सीटीआई. कार्यालय/गोरखपुर (पं०) में जमा किया जा चुका था। आरोपी कर्मचारी द्वारा ऐसे 04 ईएफटी रिकार्ड बुक को सीटीआई कार्यालय से येन-केन प्रकारेण प्राप्त कर निम्न प्रकार से कपटपूर्ण (**Fraudulently**) कार्य किया गया:-

- (i) ईएफटी के रिकार्ड प्रतियों के क्रमांक में आवश्यकतानुसार मैनिपुलेशन करके मूल रिकार्ड प्रति के स्थान पर मैनिपुलेटेड रिकार्ड प्रति बनाया गया है तथा रिकार्ड बुक में बाहर से पेस्ट किया गया है।
- (ii) ईएफटी के रिकार्ड प्रतियों के ऊपर मैनिपुलेशन करके जैसे—ईएफटी क्रमांक, **लेखा ACCOUNTS** शब्द की छायाप्रति को ईएफटी की रिकार्ड प्रति शब्द के ऊपर चिपकाकर मूल लेखा प्रति के स्थान पर मैनिपुलेटेड लेखा प्रति बनाया गया तथा उक्त प्रकार से बनायी गयी मैनिपुलेटेड लेखा प्रति को मासिक रिटर्न के साथ लेखा को कार्यालय भेजा गया है।

उक्त जॉच मे पायी गयी गंभीर अनियमितताओं के आलोक मे संबंधित चल टिकट परीक्षक को 'दीर्घ-दण्ड' के आरोप पत्र के साथ कैष लेन-देन संबंधी कार्य से विरक्त करने की अनुषंसा की गई साथ ही पर्यवेक्षकीय विफलता हेतु प्रभारी सीटीआई को भी लघु-दण्ड के शास्ति की अनुषंसा की गई। इसके अतिरिक्त मासिक रिटर्न की समुचित जॉच हेतु संबंधित नियमों/दिषा-निर्देशों को Reiterate करते हुये वाणिज्य एवं लेखा विभाग को संदर्भित किया गया।

प्रति
दस्तावेज

Case Study-8
याँत्रिक विभाग में पाई गई अनियमितताएँ

अशोक कुमार
मुसतानि/याँत्रिक

याँत्रिक विभाग में अनुबंध के आधार पर वाहय एजेंसी द्वारा ट्रेनों में की जा रही On Board House Keeping Services के कार्य की निवारक जाँच के दौरान कार्यों में निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयी :-

अनियमिततायें :-

1. ट्रेनों में Reserved कोचों की संख्या निर्धारित होती है, Reserved कोचों की संख्या के आधार पर ही कोचों की OBHS कार्य की सफाई के लिए Equipments/Tools, Materials/Consumables एवं Manpower की मात्रा ठेकेदार को उपलब्ध कराना होता है। सतर्कता जाँच में ट्रेन में Reserved कोचों की संख्या में बदलाव होने के बावजूद भी Equipments/Tools, Materials/Consumables एवं Manpower की मात्रा ठेकेदार द्वारा नहीं दिया जाना पाया गया। जबकि Contract agreement के Terms & Conditions स्पष्ट वर्णित है कि भविष्य में कोई Coach combination में बदलाव होता है तो उसी के अनुसार Equipments/Tools, Materials/Consumables एवं Manpower की extra मात्रा ठेकेदार को उपलब्ध कराना है।
2. OBHS कार्य हेतु सफाई में प्रयोग होने वाले Consumables तथा Equipments/Tools की मात्रा करारनामा के अनुसार निर्धारित मात्रा में नहीं पाए गए। OBHS कर्मचारियों को ट्रेन में सफाई के लिए जो Consumables तथा Equipments/Tools की मात्रा Material list में दिया गया था, वह भी जाँच के दौरान कम पाया गया।
3. करारनामा के अनुसार रिजर्व कोच की सफाई हेतु Manpower की मात्रा निर्धारित है, वह भी जाँच के समय ठेकेदार द्वारा कम Manpower लगाया जाना पाया गया।
4. OBHS कर्मचारियों की उपस्थिति Inrout सुनिश्चित करने के लिए BIOMETRIC मशीन दिया जाता है, वह भी जाँच के दौरान अकार्यशील पाया गया।

सुझाव :

1. ट्रेनों में Reserved कोचों की संख्या में बदलाव होता है तो सम्बंधित कोचिंग डिपो का प्रभारी की जिम्मेदारी की Reserved कोचों की संख्या के आधार पर OBHS कार्य की सफाई के लिए Equipments/Tools, Materials/Consumables एवं Manpower की मात्रा ठेकेदार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ साथ अधीनस्थ पर्यवेक्षकों को counselling करें।
2. OBHS कर्मचारियों को ट्रेन में सफाई के लिए जो Consumables तथा Equipments/Tools की मात्रा जो Material list के अनुसार दिया जाता है, पर्यवेक्षकों द्वारा उसकी एक एक मद की जाँच सघनता करके ही material लिस्ट पर हस्ताक्षर करें।

3. करारनामा के अनुसार रिज़र्व कोच की सफाई हेतु Manpower की निर्धारित मात्रा सुनिश्चित किया जाय ।
4. OBHS कर्मचारियों की उपस्थिति Inrout सुनिश्चित करने के लिए **BIOMETRIC** मशीन देते समय रेलवे पर्यवेक्षकों द्वारा इसकी Working की जाँच अवश्य किया जाय ।

प्रति
दृष्ट

Case Study-9

Partial withdrawal under NPS में अनियमितता

उमा शंकर मिश्र
मुख्य सतर्कता निरीक्षक/लेखा

एक मंडल के एक शाखा में Partial withdrawal under NPS को संज्ञान में लेकर कर गई सतर्कता निवारक जांच में यह गया था कि Partial withdrawal आवेदनो को अग्रसारित करते समय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (Exits and withdrawal under the National Pension System) विनियम, 2015 के अद्यतन दिशानिर्देशो का अनुपालन नहीं कराया जा रहा था।

अद्यतन दिशानिर्देशो अनुसार यदि किसी कर्मचारी के पास पहले से ही residential house or flat है तो उसे इस मद में Partial withdrawal अनुमेय नहीं होगा और यदि कोई कर्मचारी purchase or construction of a residential house or flat हेतु Partial withdrawal आवेदन देता है तो उसे इस आशय का Self-declaration देना अनिवार्य है कि उसके पास कोई residential house or flat है। Partial withdrawal under the National Pension System, अभी आरम्भिक स्टेज में है और NSDL के स्तर से इसमें लगातार कुछ न कुछ संशोधन होता रहा है अतः पूरे के सभी मंडलो के मंरेप्र को पत्र लिखकर Partial withdrawal under NPS के मामलो में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (Exits and withdrawal under the National Pension System) विनियम, 2015 के अद्यतन दिशानिर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित कराया गया।

Case Study-10

सुनील कुमार पांडेय
मुसतानि/इंजीनियरिंग

एक अनुबंध के अन्तर्गत सी0सी0 बिल में 5 मर्दों में बिना कार्य कराए भुगतान हेतु चढ़ाया जाना --

- पूर्वोत्तर रेलवे के एक मंडल में एक अनुबंध के अन्तर्गत भुगतान हेतु बनाये गये सी0सी0 बिल पर संदेह होने के पश्चात इस बिल में दर्ज किए गए मर्दों का कार्यस्थल पर भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि, इस बिल के अधीन कुल 18 मर्दों का भुगतान किया जा रहा है जिसमें से 5 मर्दों का कार्य, स्थल पर पूर्ण नहीं किया गया है, लेकिन इन मर्दों को भी भुगतान हेतु प्रोसेस कर दिया गया है। इस कार्य हेतु मेजरमेंट बुक में चढ़ाए गए मेजरमेंट की जांच में यह पाया गया कि, संबंधित जूनियर इंजीनियर कार्य द्वारा जिन मर्दों का कार्य, कार्य स्थल पर पूर्ण नहीं हुआ था उनका भी रिकॉर्ड मेजरमेंट, मेजरमेंट बुक में कर दिया गया था एवं मेजरमेंट बुक में यह सर्टिफिकेट दिया गया कि, इस बिल में भुगतान हेतु मर्दों की दर्ज की गई मात्रा, स्थल पर एक्जिज्यूट की गई मात्रा से अधिक नहीं है।
- मेजरमेंट बुक के साथ प्रोसेस किए गए बिल की जांच के दौरान यह भी पाया गया कि, इस कार्य से संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा मेजरमेंट बुक पर शत-प्रतिशत टेस्ट चेक का प्रमाण दर्ज किया गया था साथ ही साथ बिल पर भी कार्यपालक अभियंता द्वारा 100% का प्रमाण दर्ज किया गया था जबकि वास्तव में जिन 5 मर्दों का भुगतान इस बिल के अंतर्गत किया जा रहा था उनका कार्य स्थल पर पूर्ण ही नहीं हुआ था।
- मुख्यालय द्वारा जारी किए गए अनुदेश के अनुसार कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी द्वारा कम से कम अल्टरनेट बिलों की जांच स्थल पर जाकर किए जाने का प्रावधान दिया गया है लेकिन इस कार्य हेतु पूर्व में भुगतान किए गए बिलों की जांच के पश्चात यह पाया गया कि इसका अनुपालन संबंधित कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है।

- इस बिल की जांच संबंधित डिविज़नल एकाउंटेंट के द्वारा रविवार छुट्टी के दिन ही किया गया एवं इस पर अपने हस्ताक्षर कर भुगतान हेतु इसे प्रोसेस कर दिया गया जबकि इस बिल का टेक्निकल चेक नहीं किया गया था । नियमानुसार बिल का टेक्निकल चेक हो जाने के उपरांत ही डिविज़नल एकाउंटेंट द्वारा बिल की जांच कर उसे भुगतान हेतु आगे प्रोसेस किया जाता है । कार्यालय अधीक्षक द्वारा इस बिल को टेक्निकल चेक किए जाने हेतु सर्वप्रथम संबंधित ड्राफ्ट्समैन को बिल पुट अप करना चाहिए था, लेकिन इनके द्वारा बिल का टेक्निकल चेक न कराते हुए इसे डिविज़नल एकाउंटेंट के पास सीधे भेज दिया गया जो नियमानुकूल नहीं था ।

नियम अथवा अनुदेश मुख्यालय द्वारा इस आशय हेतु निर्गत किए जाते हैं ताकि जाने अनजाने में किसी एक स्तर पर हो गयी गलती को अगले स्तर पर रोका जा सके लेकिन जांच में यह पाया कि इस कार्य से संबंधित सभी अधिकारी एवं कर्मचारी गण द्वारा स्थापित नियम एवं समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशकों का पालन नहीं किया गया जिस कारण बिना कार्य कराये ही भुगतान हेतु बिल प्रोसेस किये जाने की घटना संज्ञान में आयी और किसी स्तर पर इसे ट्रेस नहीं किया जा सका ।

Case Study-11

विषय:—एक बुकिंग कार्यालय की जाँच में पायी गयी UTS टिकटों में फ़ाड का मामला ।

इन्द्रजीत गुप्ता
(मुसतानि यातायात)

मामले का संक्षिप्त विवरण:—

लखनऊ मण्डल के एक बुकिंग कार्यालय में की गयी निवारक जाँच के क्रम में पाया गया कि वाणिज्य कर्मचारियों के द्वारा जालसाजीपूर्ण (Fraudulent) कार्य करते हुए, प्रिंटर से छेड़-छाड़ करके LOW VALUE के टिकट स्टॉक को पूर्ण रूप से छपने नहीं दिया जाता था एवं आंशिक रूप से छपे स्टेशनरी को, कार्बन पेपर का प्रयोग करते हुए फर्जी तरीके से HIGH VALUE के टिकट जैसे लोकमान्य तिलक टर्मिनस एवं आनंद विहार टर्मिनल के लिए बनाया जाता था। इस प्रकार बुकिंग कर्मचारियों के द्वारा UTS टिकट जारी करने में जालसाजीपूर्ण कृत्य करके रेल राजस्व में भारी हानि पहुंचाई गयी एवं मामले की विवेचना से ऐसा प्रतीत होता है कि उन लोगों के द्वारा इस प्रकार का कपटपूर्ण कृत्य काफी लंबे समय से तथा अनवरत करते हुए रेलवे राजस्व की हानि पहुंचाई जाती रही।

वाणिज्य कर्मचारियों के द्वारा निम्नानुसार उक्त फ़ाड कारित किया गया :-

- UTS टिकट स्टॉक के लिए सिस्टम में LOW VALUE (कम दूरी के ₹10 के टिकट) का ट्रांजैक्शन करते हुए UTS स्टेशनरी को HIGH VALUE (लोकमान्य तिलक टर्मिनस , आनंद विहार टर्मिनल आदि जैसे लम्बी दूरी के टिकट) को बनाने के लिए बचा लिया जाता था और आगे के स्टॉक पर कार्बन पेपर लगाकर, बचाए गए स्टेशनरी को सबसे ऊपर रखकर टिकट छाप कर लम्बी दूरी की दो टिकट फर्जी तरीके से छाप लिए जाते थे। इनके द्वारा अपनाई गयी Modus Operandi निम्न चरणों में की गयी थी :-
 - a) सिस्टम में LOW VALUE का कमाण्ड देकर स्टेशनरी पर मात्र DATE एवं Slash No. को ही छपने दिया जाता था और आंशिक छपे इस टिकट को HIGH VALUE का टिकट बनाने के लिए बचा लिया जाता था। टिकट पर मिसमैच न हो जाए, इसलिए टिकट पर Slash No. को पहले ही छपने दिया जाता था।
 - b) अगले किसी टिकट स्टॉक पर HIGH VALUE का टिकट प्रिंट करने से पहले स्टॉक पर कार्बन लगाकर, बचाए गए LOW VALUE के टिकट स्टॉक को सबसे ऊपर रखते हुए इस प्रकार प्रिंटिंग में छेड़-छाड़ करते हुए फर्जी तरीके से प्रिंटिंग किया गया था कि Slash No. दोबारा उक्त आंशिक छपे टिकट पर न प्रिंट हो जाए।
 - c) फर्जी तरीके से किये गये प्रिंटिंग के फलस्वरूप दो HIGH VALUE के टिकट बनाए जाते थे, जिसमें भौतिक रूप से दोनों टिकटों पर छपे विवरण जैसे प्रस्थान स्टेशन , गंतव्य स्टेशन , दूरी, किराया , क्लास, जारी करने का समय, UTS No., Random No. आदि एक समान

पाये गए थे, जबकि उन टिकटों के संगत सिस्टम के ट्रांजैक्शन डिटेल के मिलान में LOW VALUE से सम्बन्धित स्टॉक में विभिन्नता पायी गयी, इसके साथ ही " UTS No. " दोनों टिकटों पर एक ही छपा पाया गया था , जबकि UTS manual के अनुसार प्रत्येक टिकट स्टॉक के लिए यह Unique होता है । प्रिंटिंग के पश्चात् LOW VALUE से सम्बन्धित टिकट स्टॉक पर भौतिक रूप से प्रिंटिंग में प्रिंट का रंग प्रिंटर के सामान्य इंक में एवं HIGH VALUE के लिये प्रयुक्त टिकट स्टॉक पर प्रिंट का रंग " कार्बन पेपर " के प्रिंट में पाया गया। इस प्रकार HIGH VALUE के प्रिंट किये गये दोनों टिकटों को बेचकर प्राप्त धनराशि का प्रयोग अपने निजी स्वार्थ में किया जाता था । जिसमें रेलवे के लिये Cash Liability मात्र एक High Value के स्टॉक से संबंधित स्टॉक के लिये बनी और Low Value के स्टॉक के लिये मात्र ₹ 10 बनी, जिसे इनके द्वारा पूरा कर लिया जाता था और Low Value के स्टॉक पर HIGH VALUE का फर्जी तरीके से प्रिंटिंग करके बिक्री करते हुए रेलवे को भारी हानि पहुँचायी जाती थी।

- इसके साथ ही निरस्त किए गए UTS टिकट , जो कि लेखा कार्यालय को भेजे गए थे ; उनकी जाँच में पाया गया कि " यात्रा टिकट में " टिकट पर छपाई कार्बन टाइप प्रिंटिंग में थी और उनके संगत सभी " निरस्त टिकटों " की प्रिंटिंग में प्रिंट का रंग प्रिंटर के " सामान्य इंक " में एक समान पाया गया था। Modus operandi अपनाते हुए संबंधित वाणिज्य कर्मचारियों के द्वारा LOW VALUE के टिकट स्टॉक पर HIGH VALUE के टिकट को छाप कर HIGH VALUE के दो टिकटों को बेचा जा रहा था, जिसके एवज में प्राप्त धनराशि को निजी स्वार्थ में लिया जा रहा था। यदि किसी परिस्थिति में किसी टिकट के बिक्री नहीं हो पाने की स्थिति में उसे सिस्टम से कैंसिल कर दिया जाता था जिससे कि उसका कैंसिलेशन चार्ज सिस्टम में काटते हुए शेष धनराशि सिस्टम से रिलीज हो जाए एवं Cash liability कम हो जाए।

Case Study-12

श्रावण कुमार यादव
मुसतानि/सुरक्षा

रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट पर कार्यरत बल सदस्यों द्वारा रजिस्ट्रारों में निजीधन घोषणा एवं अन्य विवरणों की प्रविष्टि नहीं किये जाने के संबंध में --

- पूर्वोत्तर रेलवे के एक मंडल में रेलवे सुरक्षा बल, पोस्ट पर जांच के दौरान यह पाया गया कि बल सदस्यों द्वारा इयूटी पर प्रस्थान के समय निजी धन की घोषणा संबंधित पंजिका में नहीं की जा रही है । यदि इयूटी हेतु 03 जवान प्रस्थान किए हैं तो उनमें से कुछ लोगो ने निजी धन की घोषणा किया है पर उनका हस्ताक्षर नहीं है तथा कहीं-कहीं पर मात्र उनका नाम लिखकर छोड़ दिया गया है तथा कैश की घोषणा नहीं की गई है ।
- रेलवे सुरक्षा बल, पोस्ट पर मेन्टेन की जाने वाली हथियारों और गोला-बारूद की दैनिक निकासी और वापसी से संबंधित पंजिका में कोत कमांडर द्वारा हथियारों और गोला-बारूद जारी करने के उपरांत वापसी लेते समय पंजिका में वापसी की तिथि, समय एवं हस्ताक्षर आदि विवरण को संबंधित कालम में दर्ज नहीं किया जा रहा है, जबकि हथियार और गोला-बारूद के रख-रखाव, साफ-सफाई एवं उसका नियंत्रण करना कोत कमांडर की ज़िम्मेदारी होती है, और इसमें छोटी सी भी चूक होने पर किसी के जान को खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- रेलवे सुरक्षा बल, पोस्ट प्रभारी द्वारा भी पोस्ट पर उपलब्ध इन रजिस्ट्रारों को चेक तथा हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है।

Case Study-13

रजनीकांत दूबे
मुसतानि/इंजीनियरिंग

एक मंडल के अधीन सीसेई/पुल द्वारा कराये गये तीन पुलो के पेंटिंग कार्य के संबंध में --

- पूर्वोत्तर रेलवे के एक मंडल में जांच के दौरान यह पाया गया कि सम्बन्धित सीसेई/ पुल द्वारा तीन पुलो (ओपेन बेव गर्डर) की पेंटिंग कार्य में उपयोग किये जाने वाले प्राइमर IS:104, रेड ऑक्साइड IS:2074 तथा एल्मुनियम पेंट IS:2339 को सक्षम अधिकारी से बिना पास कराए ही पेंटिंग कार्य करा दिया गया ।
- सीसेई द्वारा भुगतान करने हेतु पेंटिंग कार्य से पूर्व पुराने सतह की मोटाई का रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज किया जाना था परन्तु सम्बन्धित सीसेई/पुल द्वारा मोटाई का रिकार्ड नहीं लिया गया । पुल के पुराने सतह की मोटाई न लिए जाने की दशा में यह स्पष्ट रूप से नहीं मापा जा सकता है कि, एजेंसी द्वारा नया कार्य कितनी मोटाई का किया गया है और भुगतान किस मोटाई के लिए किया जाना है ?
- स्पेशिफिकेशन के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा प्रथम कोट की पेंटिंग के संतुष्ट होने के उपरांत ही द्वितीय कोट की पेंटिंग करने हेतु अनुमोदन दिये जाने का स्पष्ट निर्देश है परन्तु इस कार्य में इस निर्देश का अनुसरण नहीं किया गया ।

Case Study-14

GDCE उत्तरीय अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा सम्बन्ध में की गयी सतर्कता जाँच ।

**नीरज कुमार श्रीवास्तव
मुख्यालय/चिकित्सा**

एक सतर्कता जांच के क्रम में पाया गया है कि दिनांक 23.12.2016 को RRC, NER, गोरखपुर द्वारा GDCE विज्ञप्ति जारी की गयी थी, जिसमें अलग-अलग केटेगरी- I, II, III, IV हेतु आवेदन मांगे गए थे। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दिनांक 19.12.2017 से 21.12.2017 तक संपन्न हुए प्रलेख सत्यापन के बाद चिकित्सा मेमो जारी कर जी0 डी0 सी0 ई0- 2016 में दी गयी मेडिकल केटेगरी के अनुसार चिकित्सा परीक्षा हेतु भेजा गया। पाया गया है कि एक कर्मचारी जिसका चयन लिखित परीक्षा में केटेगरी -IV (गुड्स गार्ड) हेतु किया गया था, को गुड्स गार्ड की प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा हेतु एक मण्डल चिकित्सालय भेजा गया। जहां पर चिकित्सक द्वारा उक्त कर्मचारी की दिनांक 30.12.2017 को की गई चिकित्सा परीक्षा में दूर दृष्टि तीक्ष्णता RE-6/12, LE-6/6 व निकट दृष्टि तीक्ष्णता N/6, N/6 घोषित की एवं उक्त के आधार पर इसे 'Unfit Aye/Two and Fit Aye/three and Below with DV Glass' घोषित किया।

जबकि इस कर्मचारी के वर्तमान पद जिस पर वह कार्यरत था; की प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा में दूर दृष्टि तीक्ष्णता RE 6/9 व LE 6/9 (Uncorrected) व निकट दृष्टि तीक्ष्णता N/6, N/6 के साथ उसे 'Fit for AYE/two and below' घोषित किया गया था। सतर्कता विभाग द्वारा दिनांक 23.02.19 को तीन नेत्र विशेषज्ञों के ओप्टाल्मिक बोर्ड से इस कर्मचारी की विशेष चिकित्सा परीक्षा करायी गयी, जिसमें इस कर्मचारी की दूर दृष्टि तीक्ष्णता (Uncorrected) RE 6/9 एवं LE 6/9 पायी गयी एवं उन्हें 'Fit for AYE/two' घोषित किया गया।

ज्ञात हो कि विशेष चिकित्सा परीक्षा में इस कर्मचारी के नेत्रों में कोई भी 'vision corrective treatment' संबंधी संकेत नहीं पाये गए थे। गुड्स गार्ड की प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा के पूर्व एवं बाद की विशेष चिकित्सा परीक्षा में उक्त कर्मचारी की दूर दृष्टि तीक्ष्णता (Uncorrected) RE 6/9 एवं LE 6/9 पाया जाना इस बात को स्पष्ट करता है कि 'गुड्स गार्ड' की प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा में चिकित्सा परीक्षा करने वाले चिकित्सक द्वारा त्रुटिपूर्ण निर्णय लिया गया था। परिणामस्वरूप एक 'ए/टू' मेडिकल श्रेणी में 'योग्य' व्यक्ति को 'अयोग्य' घोषित हुआ तथा उसका 'गुड्स गार्ड' के पद पर चयन बाधित हुआ।

निवारक जाँच परिणाम :- अतः उक्त गलत निर्णय हेतु सतर्कता विभाग द्वारा इस कर्मचारी की 'गुड्स गार्ड' की प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षा करने वाले चिकित्सक से स्पष्टीकरण लेने के पश्चात, चिकित्सक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा की गई है। मामला रेलवे बोर्ड को संदर्भित है।

निवारक जाँच का महत्व :- उक्त जांच से चिकित्सा परीक्षा के महत्व को समझा जा सकता है जहां एक ओर चिकित्सा परीक्षा में 'योग्य' अभ्यर्थी / कर्मचारी को त्रुटिपूर्ण निर्णय में 'अयोग्य' किए जाने पर उसकी सफलता बाधित होती है वहीं दूसरी ओर चिकित्सा परीक्षा में 'अयोग्य' अभ्यर्थी / कर्मचारी को त्रुटिपूर्ण निर्णय में 'योग्य' किए जाने पर रेल संरक्षा प्रभावित हो सकती है। अतः सतर्कता विभाग का यह मानना है कि रेल के अन्य कार्यों जैसे रेल संचालन आदि की भांति चिकित्सा परीक्षा भी रेल संरक्षा से जुड़ा अति महत्वपूर्ण अंग है। अतः इसमें भी भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली-2000 में दिये गए दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुये पूरी सावधानी एवं सतर्कता बरती जानी चाहिए।

Case Study-15

फर्जी रसीदे/वाउचरो के द्वारा नगद अग्रदाय राशि का दुरुपयोग किया जाना।

लल्लन प्रसाद
मुसतानि/लेखा

स्रोत सूचना के आधार पर पूर्वोत्तर रेलवे के एक स्टेशन अधीक्षक कार्यालय में की गई एक सतर्कता निवारक जाँच में पाया गया कि स्टेशन अधीक्षक के द्वारा स्टेशन सफाई से संबंधित नगद अग्रदाय की प्रतिपूर्ति हेतु विभिन्न दूकानों से प्राप्त रसीदे/वाउचरो को संलग्न कर नगद अग्रदाय की प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त की गई है। बिलो के साथ संलग्न की गई रसीदों/वाउचरो की सत्यता की जाँच संबंधित फर्म/दूकानों से कराया गया। संबंधित फर्म/दूकानदारों ने रसीदों को फर्जी बताते हुए इसे जारी करने से साफ इंकार किया गया। दूकानदारों द्वारा यह भी बताया गया कि इस दूकान पर रसीद में दर्शाया गया कार्य नहीं किया जाता है।

इस प्रकार संबंधित कर्मचारी द्वारा फर्जी रसीदें/वाउचरों के माध्यम से नगद अग्रदाय राशि का दुरुपयोग किया गया है।

अतः उपरोक्त कृत्य के लिए सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम के अर्न्तगत अनुशासनिक कार्यवाई की अनुषंसा की गई है।

Case Study-16

रेलवे डीजल इंस्टालेशन (RDI) में रोड टैंकर से सप्लाई किए जा रहे HSD Oil के चोरी (Pilferage) का मामला

**पंकज कुमार श्रीवास्तव
मुसतानि /यांत्रिक**

भारतीय रेलवे में RDI/RCD में HSD Oil की सप्लाई IOCL /BPCL कम्पनी द्वारा रोड टैंकर एवं टैंक वैगन के माध्यम से किया जाता है ,जिसका भण्डारण RDI के स्टोरेज टैंको में किया जाता है । इस HSD Oil का प्रयोग डीजल लोकोमोटिव में किया जाता है, तथा RDI का रख - रखाव RDI प्रभारी द्वारा किया जाता है ।

पूर्वोक्त रेलवे के एक RDI में IOCL द्वारा रोड टैंकर से सप्लाई किए जा रहे HSD Oil के Accountal एवं रोड टैंकर की सतर्कता जाँच की गयी थी । एक रोड टैंकर की क्षमता 20 KL की होती है ,इसके ऊपरी भाग में चार चैम्बर 05-05 KL के होते हैं । इन्ही चैम्बर के Dip line के अंदर Dip rod / Dip tape डालकर HSD Oil के मात्रा की जाँच की जाती है । चारो चैम्बर को लॉकिंग डिवाइस द्वारा लॉक करके प्रॉपर सील किया जाना चाहिए। जाँच में पाया गया कि चारो चैम्बर को लॉकिंग डिवाइस द्वारा लॉक किया गया था , परन्तु प्रॉपर सील नहीं था । रोड टैंकर में Invoice के अनुसार HSD oil की मात्रा का Dip Reading के समय प्रत्येक चारो चैम्बर में पूरी मात्रा मिल रही थी, परन्तु Oil chambers की गहनता से जाँच करने पर रोड टैंकर के चैम्बर के Dip line के अंदर एक इंच डाया का अलग से डमी पाइप डाला हुआ पाया गया। उक्त डमी पाइप के सम्बन्ध में रोड टैंकर के चालक से कड़ाई से पूछने पर बताया गया कि मेरे तथा IOCL के कर्मचारियों की मिलीभगत से डीजल की चोरी के लिए यह डमी पाइप डाला गया था । डमी पाइप को हटाने के उपरांत पुनःचैम्बर में HSD oil की माप लेने पर कुल 2670 लीटर HSD oil कम पाया गया। RDI प्रभारी द्वारा उक्त HSD oil की कमी को गम्भीरता से न लेकर लेजर में कमी को वास्तविक मात्रा से काफी कम मात्रा में दर्शाया गया । जिससे लगभग 90,000/- रुपये का रेल राजस्व की क्षति पहुंचाया गया। RDI प्रभारी द्वारा इस तरह की कमियों को विगत माह में कभी भी सज़ान में नहीं लिया गया ,तथा कमी को रिकॉर्ड न करने से रेल राजस्व की काफी क्षति हुई ।

उपरोक्त कमियाँ /अनियमितताएँ RDI प्रभारी के अपने ड्यूटी के प्रति घोर लापरवाही एवं दूषित मंशा को दर्शाता है ,जिसके लिए RDI प्रभारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा की गई । सतर्कता जांच में पाई गई अनियमितताओं में सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु System Improvement Suggest किया गया ।

Case Study-17

विषय :- आवधिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सतर्कता जाँच ।

आनन्द कुमार,
मुसतानि / कार्मिक

एक परिवार की जाँच में यह पाया गया कि पूर्वोत्तर रेलवे के एक मण्डल के अधीन वर्ष 2017 एवं 2018 में वाणिज्य विभाग के एक अधिकारी द्वारा रोटेशनल ट्रांसफर किया गया था, जिसमें यह पाया गया कि जिन कर्मचारियों के जिन स्टेशन पर स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन प्राप्त थे, उन्हीं स्टेशन पर अन्य कर्मचारियों को प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किया गया, जिससे सी.टी.जी. के मद में रेल राजस्व की हानि हुई । साथ ही यह भी पाया गया कि स्वयं के अनुरोध के मामले में प्राथमिकता रजिस्टर को नजरअंदाज किया गया ।

जाँच में यह भी पाया गया कि स्थानान्तरण हेतु प्रस्तुत टिप्पणी पर सक्षम अधिकारी के लम्बी अवधि पर अवकाश पर होने के कारण उच्चाधिकारी (अमरेंद्र) से अनुमोदन कराया जाना चाहिए था किन्तु स्थानान्तरण समिति के संयोजक सदस्य द्वारा सक्षम अधिकारी से अनुमोदन न प्राप्त कर स्वयं ही अनुमोदन कर दिया गया, जिसके लिए संयोजक सदस्य सक्षम नहीं थे । कार्मिक विभाग द्वारा कार्यालय आदेश जारी करते समय इसे संज्ञान में नहीं लिया गया तथा कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया ।

उक्त अनियमितता के लिए कार्मिक विभाग के जिम्मेदार कर्मचारी एवं वाणिज्य विभाग के अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है ।

सामान्य चेक लिस्ट

कार्यालय का नाम :-

दिनांक

नियंत्रक अधिकारी का नाम एवं पदनाम :-

क्रम सं०	चेक किये जाने वाले मद	अभिलेख उपलब्ध है अथवा नहीं	रिर्माक
1	उपस्थिति पंजिका/मास्टर रोल		
2	अवकाश रजिस्टर		
3	एम. ए. सी. पी. रजिस्टर		
4	डी ए आर रजिस्टर		
5	अनुकम्पा रजिस्टर		
6	समापक भुगतान रजिस्टर (सामान्य, असामान्य सेवानिवृत्ति)		
7	बी०ओ०एस०		
8	रोस्टर रजिस्टर		
9	सेवानिवृत्ति लिस्ट		
10	पास रजिस्टर		
11	घोषणा पत्र का रख रखाव		
12	शिशु शिक्षा भुगतान रजिस्टर		
13	अग्रिम रजिस्टर/रिकवरी रजिस्टर		
14	कर्मचारी ग्रीवान्स रजिस्टर		
15	अजा०/अजजा० शिकायत रजिस्टर		
16	अन्य		

(-----)

(-----)

CVI/

Case Study-18

पुर्नवेतन निर्धारण किये जाने में अनावश्यक विलम्ब किया जाना।

(विष्णु प्रसाद)
मुसतानि / लेखा

स्रोत सूचना के आधार पर पूर्वोत्तर रेलवे के कारखाना लेखाधिकारी/गोरखपुर के कार्यालय में की गई एक सतर्कता निवारक जांच में पाया गया कि दि० 01.07.2017 के बाद परि (III) (IREM) परीक्षा पास कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में पूर्व में शामिल किये जाने वाले योग्यता वेतन को रेलवे बोर्ड के जारी पत्र सं०—E(P&A)I-2012/SP-1/Genl-1 dt- 03-01-2019 के द्वारा निष्प्रभावी कर दिये जाने के कारण उक्त मामले में पुनः वेतन संशोधन का कार्य उत्पन्न हुआ। जिसे स्थापना अनुभाग के सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा मार्च 2020 तक पदोन्नति पाये कर्मचारियों का न तो संशोधित वेतन निर्धारण किया गया और न ही अधिभुगतान की कटौती की गई। इस तरह स्थापना अनुभाग के सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा वेतन पुर्ननिर्धारण में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा था।

स्थापना अनुभाग के सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा वेतन पुर्ननिर्धारण में देरी किये जाने से रेलवे राजस्व की हानि हो रही थी। अधिभुगतान की कटौती अप्रैल 2020 के वेतन से एकमुष्ट क्रमशः रु. 55308 / एवं रु. 52110 / कर ली गयी है।

अतः उपरोक्त कृत्य के लिये सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध रेल सेवक अनुषासन एवं अपील नियम के अन्तर्गत अनुषासनिक कार्यवाही की अनुषंसा की गई है।

Case Study-19

अवैध साफ्टवेयर से तत्काल टिकटों का कारोबार।

प्रजीत कुमार सिंह
मुख्य सतर्कता निरीक्षक/यातायात

श्रोत सूचना कि "क" स्टेशन के सामने स्टेशन रोड पर स्थित एक ट्रेवेल एजेन्सी द्वारा अवैध साफ्टवेयर का प्रयोग कर तत्काल टिकट बनाये जाते हैं और टिकटों का अवैध कारोबार किया जाता है, के आधार पर सतर्कता दल द्वारा आर. पी. एफ. के दो कांस्टेबलों को साथ में लेकर दिनांक 27.03.19 को उक्त ट्रेवेल एजेन्सी पर छापेमारी की गई।

1. जाँच के क्रम में सर्वप्रथम उक्त एजेन्सी की निगरानी करने के बाद लगभग 11.05 बजे सतर्कता दल जाँच हेतु एजेन्सी (दुकान) के अन्दर गया, वहाँ एक व्यक्ति लैपटाप पर बैठकर कार्य कर रहा था तथा कुछ अन्य लोग एजेन्सी में अन्दर बैठे हुए थे। सतर्कता दल द्वारा अपना परिचय देकर तथा आने का मकसद बताकर उक्त दुकान को 11.10 बजे से 12.00 बजे तक चेक किया गया। पूछताछ में लैपटाप पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम व पता बताया तथा बताया कि मैं ही इस एजेन्सी का संचालक हूँ।
2. दुकान एवं लैपटाप की जाँच में दराज में एक अदद आरक्षित रेल काउंटर टिकट बरामद हुआ तथा लैपटाप को चेक करने पर पाया गया कि दुकान संचालक द्वारा अवैध साफ्टवेयर ANMS के माध्यम से कुल चार तत्काल E टिकट बनाये गये थे। उक्त के अलावा पूछताछ तथा लैपटाप को चेक करने पर एजेन्सी संचालक द्वारा पूर्व की तिथियों के बनाये गये कुल 29 E टिकट पाये गये जिनका प्रिन्ट-आउट निकाला गया। उक्त के सम्बंध में संचालक ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह आधार कार्ड बनाने तथा फ्लाइट का टिकट बुक करने का काम करता है जिसके लिए दुकान पर आने वाले लोगों की आई. डी. पर फर्जी ई-मेल आई. डी. बनाकर ANMS साफ्टवेयर की मदद से टिकट बनाता है और मूल्य से अधिक पैसा लेकर बेचता है।
3. उक्त एजेन्सी (दुकान) की तलाशी में एक अदद एस.बी.आई. बैंक पास बुक, 3 अदद डोंगल, 2 अदद Just Click का टोकन व 4 अदद आधार कार्ड पाया गया। उक्त बरामद सामान जो टिकट बनाने में सहायक हैं के बारे में पूछने पर एजेन्सी संचालक ने बताया कि वह दूसरे के नाम पर आई. डी. बनाकर उक्त साफ्टवेयर की मदद से टिकट बनाता है और अधिक पैसा लेकर उक्त टिकटों को बेच देता है। उक्त टिकटों को बनाये जाने के सम्बंध में पूछने पर संचालक ने बताया कि उक्त टिकट ANMS साफ्टवेयर की मदद से बनाये गये हैं। उसने बताया कि उक्त साफ्टवेयर की मदद से तत्काल आरक्षण के निर्धारित समय से पूर्व ही यात्रियों का पूरा डेटा एवं पेमेन्ट डिटेल सिस्टम में फीड कर दिया जाता है तथा 11.00 बजते

ही Enter Key प्रेस करते ही एक साथ कई टिकट (साफ्टवेयर की क्षमता अनुसार) बन जाते हैं एवं उक्त साफ्टवेयर Capcha Code भी Bypass कर देता है, जिससे अविलम्ब टिकट बन जाते हैं।

4. जॉच के दौरान ही संचालक द्वारा विभिन्न आई. डी. का प्रयोग कर अप्रैल/2018 से मार्च/2019 के मध्य बनाये गये टिकटों का डिटेल आई.आर.सी.टी.सी. से प्राप्त किया गया, जिसके अनुसार संचालक द्वारा उक्त अवधि में इस साफ्टवेयर की मदद से कुल रु **2035175.00** मूल्य का टिकट बनाया गया था। उक्त सभी आई. डी. को आई.आर.सी.टी.सी. द्वारा ब्लॉक करा दिया गया। संचालक द्वारा बनाये गये उक्त टिकटों में 12 टिकट आगामी तिथियों के पाये गये तथा दिनांक 27.03.19 को बनाये गये 4 तत्काल E टिकट अर्थात् कुल 16 टिकटों को सिस्टम से सीज कराया गया। एजेन्सी संचालक को रेल टिकट के अवैध कारोबार में लिप्त पाकर आर. पी. एफ. पोस्ट को सुपुर्द किया गया। आर. पी. एफ. द्वारा उसके विरुद्ध रेलवे एक्ट-143 के तहत कार्यवाही की गई है।

उपरोक्त पर रोकथाम हेतु मुख्य सतर्कता अधिकारी, किस/नई दिल्ली को पद्धति सुधार पत्र भेजा गया है।

Case Study-20

अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति के सम्बन्ध में ।

ए०के०शुक्ल

मुख्य कार्मिक निरीक्षक/कार्मिक

एक स्रोत सूचना के आधार पर एक मंडल में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति को संज्ञान में ले कर सतर्कता जांच किया गया । जांच में पाया गया कि एक कर्मचारी की मृत्यु सेवा काल में दिनांक 28.02.2013 हो गयी थी । कर्मचारी के मृत्युपरान्त एक तथाकथित महिला को पत्नी मानकर अनुकम्पा आधारित नियुक्ति दे दी गयी है । तथाकथित महिला को अनुकम्पा आधारित नियुक्ति हेतु मेडिकल उपचार पुस्तिका, परिवार रजिस्टर की नकल एवं स्व० कर्मचारी का वर्ष 2013 का पास घोषणा पत्र को आधार बनाया गया था । जांच में पाया गया कि मेडिकल उपचार पुस्तिका, स्व० कर्मचारी के कार्यालय से जारी ही नहीं किया गया था । सम्बन्धित कार्यालय में उपलब्ध 2013 के पास घोषणा पत्र पर किसी कार्यालय प्रभारी का हस्ताक्षर नहीं था । स्व० कर्मचारी ने वर्ष 2012 के पास घोषणा पत्र में पत्नी के रूप में किसी का नाम नहीं दिया है तथा दिनांक 15.02.2012 एवं 19.06.2012 को सुविधा पास स्वयं के लिए ही जारी कराया है ।

तथाकथित महिला द्वारा प्रस्तुत किया गया परिवार सूची प्रमाण पत्र का सत्यापन सतर्कता संगठन द्वारा कराया गया । परिवार रजिस्टर की नकल जारी करने वाले प्राधिकारी ने अवगत कराया कि स्व० कर्मचारी का सम्बन्ध तथाकथित महिला के साथ था परन्तु वैवाहिक स्थिति की जानकारी नहीं दी गई । सतर्कता जांच में तथाकथित महिला द्वारा प्रस्तुत किये गये पत्र सही नहीं पाये गये हैं ।

यह उल्लेखनीय है कि सभी पत्र कर्मचारी के मृत्यु के एक सप्ताह के अन्दर बनाए गये हैं । स्व० कर्मचारी का पास घोषणा पत्र वर्ष 2012, वर्ष 2013, पास जारी किये जाने हेतु दिए गये आवेदन पत्र एवं मेडिकल उपचार पुस्तिका पर किया गया स्व० कर्मचारी का हस्ताक्षर भिन्न-भिन्न था । तथाकथित महिला द्वारा प्रस्तुत किए गये अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित कार्मिक निरीक्षक द्वारा नहीं कराया गया तथा बिना पत्रों के सत्यापन के अपनी रिपोर्ट तथाकथित महिला के पक्ष में दे दी गयी, जिसके आधार पर तथाकथित महिला को पत्नी मानकर समापक भुगतान/अनुकम्पा आधारित नियुक्ति दे दी गयी ।

उपरोक्त अनियमितता के सम्बन्धित जिम्मेदार कर्मचारी एवं तथाकथित महिला के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा की गयी है ।

Case Study-21

पार्सल कार्यालय में पायी गयी गंभीर अनियमिततायें।

रमन सिंह
मुसतानि/याता.

- वाराणसी मंडल के एक पार्सल कार्यालय की ट्रांजिट टैली बुक की जाँच में पाया गया कि PW BILL No- 469517 एवं 404517 के अन्तर्गत क्रमशः 55/52 एवं 55/42 पैकेज सूरत पार्सल कार्यालय से गाड़ी सं 19045 से विभिन्न तिथियों में पार्टवाइज उक्त पार्सल कार्यालय हेतु भेजे गये हैं।
- उक्त पार्सल कार्यालय की परिदान पंजिका एवं परिदान किये गये पार्सलों की सम्बन्धित रेलवे रसीद की जाँच में पाया गया कि दोनों PW BILL No- 469517 एवं 404517 के अन्तर्गत सूरत से बुकड पार्सलों (52+42=94) का पार्टवाइज परिदान एक ही PW BILL No- 469517 के अन्तर्गत बिना पुनर्तोल कराये हुए ही उक्त पार्सल कार्यालय द्वारा कर दिया गया, जबकि PW BILL No- 404517 के सापेक्ष कोई भी रेलवे रसीद पार्टी से सरेण्डर नहीं करायी गयी है।
- अग्रिम जाँच में पाया गया कि सूरत पार्सल कार्यालय से PW BILL No- 404517 उक्त पार्सल कार्यालय हेतु जारी ही नहीं किया गया है, जबकि PW BILL No- 469517 के अन्तर्गत बुकड 55 की लॉट में 90 पैकेज उक्त पार्सल कार्यालय हेतु लोड किये गये थे।
- उपरोक्त से स्पष्ट है कि सूरत पार्सल कार्यालय से पी.डब्ल्यू.बिल सं 469517 के अन्तर्गत 55 पैकेजों की बुकड लॉट में जानबूझ कर कुल 90 पैकेज भेजे गए एवं बुकड लॉट से अतिरिक्त भेजे गये पैकेजों का परिदान उक्त पार्सल कार्यालय में जानबूझ कर छद्म पी.डब्ल्यू.बिल सं 404517 के अन्तर्गत पार्टी से बिना रेलवे रसीद प्राप्त किये हुए ही कर दिया गया।
- सूरत पार्सल कार्यालय की पार्सल लोडिंग बुक की विस्तृत जाँच में पाया गया कि 07 पी.डब्ल्यू.बिलों पर बुकड लॉट से विभिन्न तिथियों में पार्टवाइज करके क्रमशः 65 के स्थान पर 67, 70 के स्थान पर 72, 30 के स्थान पर 35, 35 के स्थान पर 36, 40 के स्थान पर 54, 23 के स्थान पर 26, 50 के स्थान पर 52 एवं 40 के स्थान पर 43 पैकेजों को (अर्थात् बुकड पैकेजों से अधिक पैकेजों को) उक्त पार्सल कार्यालय हेतु भेजा गया है।
- **Conclusion**
- इस प्रकार जाँच में स्पष्ट हुआ कि सूरत पार्सल कार्यालय एवं उक्त पार्सल कार्यालय में कार्यरत पार्सल लिपिकों द्वारा साठ गांठ करके उक्त स्टेसन हेतु जारी PW BILL के अन्तर्गत बुकड लॉट से अतिरिक्त पैकेजों को साथ ही बिना बुकिंग के भी पैकेजों को लोड कर उक्त स्टेसन हेतु वहन कराया जा रहा था एवं उक्त पैकेजों का परिदान पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। इस प्रकार रेल राजस्व को भारी क्षति पहुंचायी जा रही थी।
- **Action Taken**
- उपरोक्त अनियमितता संज्ञान में आने पर उक्त पार्सल कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से पार्सल कार्यालय से स्थानांतरित कर दिया गया एवं सम्बंधित कर्मचारी के विरुद्ध दीर्घ दण्ड की

एवं अन्य दो कर्मचारियों के विरुद्ध लघु दण्ड आरोप पत्र जारी किये जाने की अनुषंसा की गयी है तथा पश्चिम रेलवे के सूरत स्टेशन से संबंधित जिम्मेदार स्टाफ के विरुद्ध कार्रवाई हेतु पश्चिम रेलवे/सतर्कता संगठन को संदर्भित किया गया है।

प्राप्त
दस्तावेज

भ्रष्टाचार निवारण की दिशा में सही कदम

डा० राकेश कुमार भारती
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा

भ्रष्टाचार का उद्भव :

जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार का उद्भव आज से नहीं वरन् सैकड़ों वर्षों पूर्व हो चुका है । भारत में भी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत पुरानी हैं । मुगलकालीन चाणक्य, कौटिल्य और अनेकों राजा महाराजाओं के युगों में भी इसका प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलता है । यहां तक कि रामायण और महाभारत काल में भी भ्रष्टाचार के अनुकों उदाहरण देखने को मिल सकते हैं । महाभारत युग में गुरु द्रोणाचार्य द्वारा गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांगना भी भ्रष्टाचार का प्रत्यक्ष प्रमाण है । भारत में ब्रिटिश राज के समय भी भ्रष्टाचार का जबरदस्त प्रचलन था । अनेकों कुलीनों, राजाओं, जमींदारों और प्रभुत्व सम्पन्न लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए भ्रष्टाचार को अपना प्रगति और विकास के साथ-साथ उसे धन संचय और समृद्धि का मार्ग बनाया जिसके द्वारा अनेकों लोगों का शोषण किया गया और उनको अन्यायपूर्वक यातनाएँ भी दी गई । लेकिन इन युगांतों में भ्रष्टाचार इतनी मात्रा, जगह और व्यवस्थाओं में व्याप्त नहीं था जिनता कि वर्तमान में देखने को मिलता है । भ्रष्टाचार का उद्भव मुख्यतः अति महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ही हुआ है । जिस दिन से भ्रष्टाचार का उद्भव हुआ है उसी दिन से चौगुनी प्रगति हुई है और भ्रष्टाचार रूपी बाग हमेशा फलता फूलता आया है । अनेकों महापुरुषों और समाज सेवियों ने इसकी रोकथाम के लिए भरसक प्रयत्न और प्रयास किये परन्तु सभी निरर्थक साबित हुए हैं । परिणामस्वरूप आजकल भ्रष्टाचार साफ दिख रहा है । आज भ्रष्टाचार एक सर्वव्यापी रोग बन गया है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों धर्म, राजनीति, शिक्षा, व्यापार, चिकित्सा, न्यायतंत्र, शासनतंत्र, अर्थव्यवस्था आदि हर जगह पर दिखाई देता है ।

भ्रष्टाचार क्या है ?

भ्रष्टाचार शब्द भ्रष्ट+आचार का सन्धि है, जिसमें भ्रष्ट बुराई को इंगित करता है और आचार मनुष्य को दिन प्रतिदिन के कार्यकलाप और व्यवहार को दर्शाता है । अतः जीवन में बुरे आचरण को अपनाना ही भ्रष्टाचार है । भ्रष्टाचार किसी भी रूप में किया जा सकता है, चाहे अनैतिक रूप से कमाया हुआ धन, अनैतिक रूप से किया हुआ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक शोषण, ये सभी भ्रष्टाचार को प्रदर्शित करते हैं । एक बुरे आचरण से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है जो कि व्यक्ति को निरन्तर इस ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है ।

भ्रष्टाचार —आवश्यकता और कारण :

कहते हैं कि आवश्यकता अविष्कार की जननी होती है परन्तु भ्रष्टाचार के मामले में यह बात बिल्कुल बेमानी साबित होती है, क्योंकि यह एक बुराई और दुःख का मार्ग है, जिसे व्यक्ति आवश्यकता और जरूरत में कभी भी नहीं अपनायेगा । चूँकि लालच और लोभ में व्यक्ति अंधा होकर अपनी अत्यधिक आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भ्रष्टाचार रूपी कांटों भरा मार्ग अपनाता है । यदि हम वर्तमान परिपेक्ष में देखें तो हम पायेंगे कि आज व्यक्ति को अपनी तमाम आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भ्रष्टाचार ही सबसे सरल और अच्छा माध्यम नजर आता है जिसके द्वारा वह जल्दी

से जल्दी अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए स्वप्न देखते हैं, जिसके फलस्वरूप वह भ्रष्टाचार के दलदल में फँसता ही जाता है ।

आज नौकरशाही और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं । राजनीतिज्ञों के लिए भ्रष्टाचार एक सेवा कर अथवा धंधा बन गया है और पूंजीपतियों के लिए व्यापार का एक अभिन्न अंग बन गया है । सद्गुण, आदर्श और ईमानदारी जैसे शब्दों का इन लोगों के लिए कोई महत्व नहीं रह गया है और इन सब का उद्देश्य केवल धन और साधन का संचय मात्र रह गया है ।

आज भ्रष्टाचार के मुख्यतः निम्नलिखित कारण हैं जो कि इसे न केवल बढ़ावा देते हैं बल्कि इसको प्रोत्साहित भी करते हैं :-

1. परिवार की आर्थिक जरूरतों की पूर्ति ।
2. उच्च जीवन श्रेणी की चाह ।
3. भोग और विलास की महत्वाकांक्षा ।
4. समय पर न्याय और दोषियों को सजा न मिलना ।
5. शासकीय कार्यों में पारदर्शिता की कमी ।
6. भ्रष्ट व्यक्तियों की समाज एवं व्यवस्थाओं पर अच्छी पहुंच होना, आदि ।

उपरोक्त कारण लोगों को भ्रष्टाचार करने एवं दैनिक कार्यों में इसे अपनाने की प्रेरणा देते हैं, जो कि हमारे विशुद्ध समाज के लिए एक कलंक की तरह है जिसको जड़ से मिटाने की अति आवश्यकता है ।

भ्रष्टाचार निवारण के उपाय :

चिकित्सा विज्ञान में जिस तरह अनेकों बीमारियां मानव शरीर के लिए घातक सिद्ध हुई हैं, ठीक उसी तरह से अनेकों सामाजिक बुराइयों के सम्मिश्रण के रूप में भ्रष्टाचार हमारी तमाम सामाजिक व्यवस्थाओं को पंगु बना रहा है और वह कैंसर, एड्स, क्षय एवं अन्य संक्रामित रोगों की तरह हमारी मानसिक स्थिति को विकृत कर रहा है । इसको तुरन्त उखाड़ फेंकना आज की नितांत आवश्यकता बन गया है अन्यथा यह हमारी व्यवस्थाओं को खोखला कर देगा । भ्रष्टाचार आज वह माध्यम बन गया है, जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं न्यायिक व्यवस्थाओं को लालच के भ्रमजाल में फँसाकर मानव को जीवन के मूल उद्देश्य से विमुख कर रहा है और जिसके द्वारा व्यक्ति सांसारिक मोह-माया में फँसकर अपने कर्तव्यों को भूल रहा है । एक पुरानी कथा है कि एक बार नारद ने कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु ! आपकी माया अपरम्पार है और कृपया एक बार मुझे उसके दर्शन करा दीजिए । इससे मैं धन्य हो जाऊँगा । कृष्ण ने कहा कि ठीक है आज मैं तुम्हें माया के दर्शन करा देता हूँ । दोनों बहुत दूर चलते गए । इसी बीच कृष्ण ने कहा कि नारद मुझे बहुत प्यास लगी है और कहीं से पानी लाकर पिला दो । नारद पानी की तलाश में दूर-दूर तक गया परन्तु कहीं भी पानी दिखाई नहीं दिया । फिर नारद को दूर एक घर दिखाई दिया । नारद ने जाकर घर का दरवाजा खटखटाया तो एक सुन्दर युवती ने घर का दरवाजा खोला । नारद एकटक उसे देखता रहा और उस पर मोहित हो गया । वह युवती भी नारद को देखकर उस पर मंत्रमुग्ध हो गई । नारद ने युवती के पिता की सहमति से युवती से विवाह कर लिया और वहीं पर रहने लगे । कुछ समय बाद उनके बच्चे हुए और वे सुखपूर्वक रह रहे थे । बारह वर्ष के बाद वहां पर भयंकर बाढ़ आई जिसमें नारद की पत्नी और उसके बच्चे बह गए । नारद जब शोक में डूबे थे तब कृष्ण प्रकट हुए और नारद से कहा कि नारद, तुम अब जल लेकर आए हो और मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था । नारद को जब समझ में आया तो उसने कृष्ण से बहुत क्षमायाचना की । चूंकि नारद मोह और सांसारिक भ्रमजाल में पड़ गया था और जो उद्देश्य उन्हें दिया गया था उससे नारद विमुख हो गये थे ।

अतः स्पष्ट है कि धन, लालच, मोह और सांसारिक भ्रमजाल में पड़कर हम अपने आदर्शों, सद्गुणों, जीवन के मूल उद्देश्यों और कर्तव्यों से विमुख होकर भ्रष्टाचाररूपी दलदल में धंस जाते हैं । भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रयोजन धन सम्पदा अर्जित करना है लेकिन हम सब यह जानते हुए भी अज्ञानी हैं कि यह धन कब तक हमारे साथ रहेगा और कब तक यह हमें सुख की प्राप्ति देगा । धन से किसी को वह सुख नहीं मिल सकता जो शायद दूसरों को आनन्दित करने पर मिलता है । हम अपने आदर्शों, सद्गुणों और सुन्दर संस्कारों के माध्यम से भ्रष्टाचार रूपी दानव का खात्मा कर सकते हैं । इसके लिए हमें हमारे दैनिक जीवन में वैचारिक दृढ़ता को अपनाना होगा जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, हमारी मनोवृत्ति बदलेगी और हमारे कदम भ्रष्ट आचरण और बुराई की तरफ डगमगाएंगे नहीं ।

भ्रष्टाचार निवारण की दिशा में अगर हम सोचें तो सर्वप्रथम हमें अपने विचारों और धारणाओं को बदलना होगा और साथ ही साथ भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे :—

1. हमारी शिक्षा प्रणाली में कुछ इस तरह की अध्ययन सामग्री का समावेश करना होगा जो कि भ्रष्टाचार को एक अपमान और घृणित कार्य इंगित करती हो, जिससे हमारी आने वाली भावी पीढ़ी सतर्क होकर इससे दूर रह सके ।
2. युवा वर्ग को समुचित रोजगार उपलब्ध कराना होगा, जिससे वे आर्थिक रूप से सक्षम हो सकें ।
3. भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाना चाहिए, जिससे भ्रष्टाचारियों को कड़ी सजा मिल सके और लोग भ्रष्ट तरीकों को अपनाने के बारे में सोच भी न सकें ।
4. राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भ्रष्ट जन प्रतिनिधियों को चुनाव में प्रत्याशी बनाने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और उन्हें शीघ्र और उचित दण्ड दिया जाना चाहिए ।
5. शासकीय कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता अपनानी होगी ताकि लोगों को तथ्य छुपाने का मौका न मिल सके और साथ ही सूचना के अधिकार को शासकीय कार्यों में प्रभावी और निष्पक्ष रूप से लागू किया जाये जिससे आम आदमी को सही और समय पर सूचना मिल सके और भ्रष्टाचार एवं अनैतिक कार्यों का जनता के सामने खुलासा हो सके ।
6. जनता को जागरूक और सतर्क होना होगा, उन्हें भ्रष्टाचार का बहिष्कार करना होगा ।
7. अनुशासन और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा ।

आज भ्रष्टाचार भविष्य के लिए धन संचय का एक पर्याय बन गया है पर वह धन कब तक सुरक्षित होगा यह मनुष्य को खुद को नहीं पता, पर फिर भी मनुष्य अनावश्यक धन का संचय क्यों करता है जो आगे चल कर उसी के लिए संकट, दुःख, कष्ट और डर का एक मुख्य कारण बन सकता है ।

**धन बल सींचे मानवा, कु कबहु सुखी ना होय ।
जो सींचे तु आत्म-बल, अति-उपयोगी होय ॥**

अर्थात् हे मनुष्य ! तू धन का अनावश्यक संचय क्यों करता है जो कतई सुरक्षित नहीं है । तुझे आत्मबल और आत्म – विश्वास का संचय करना चाहिए जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगी है । अतः मनुष्य को सदैव भ्रष्टाचार की अपेक्षा ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग अपनाना चाहिए ।

'COVID' एक परिवर्तन

कोविड का संदेश सुनो, परिवर्तन लेकर आया है I
एक नहीं दो देश नहीं ये, विश्व पटल पर छाया है II
था समाज का ताना-बाना, मिलना जुलना आना-जाना I
जो समाज को बांध रहा था, वह स्तंभ ठहाया है II
कोविड का संदेश सुनो, परिवर्तन लेकर आया है II
घर से दूर गए लोगों को, घर की राह दिखाया है I
गाड़ी से जो दूर गए थे, पैदल उनको लाया है II
बहुतों का तो काम छीन कर, रोटी को तरसाया है I
बदल आपदा को अवसर में, कुछ ने माल बनाया है II
कोविड का संदेश सुनो.....II
साफ-सफाई जड़ी दवाई, का महत्व समझाया है I
खांसी और जुकाम का देखो, इसने मान बढ़ाया है II
खुले बैल से घूम रहे थे, मुंह सबका बंधवाया है I
मदिरा का सम्मान बढ़ाया, घर घर तक पहुंचाया है II
कोविड का संदेश सुनो.....II
परिवर्तन आसान नहीं है, हर परिवर्तन आग नई है I
कुछ तो इसमें जल जाएंगे, कुछ तप कर बाहर आएंगे II
फिर से नया सूर्य निकलेगा, सभी दिशाओं को बदलेगा I
परिवर्तन की इस आंधी में, कुछ खोया कुछ पाया है II
कोविड का संदेश सुनो, परिवर्तन लेकर आया है II

सतर्कता जागरूकता अभियान



- मुद्रित मूल्य/अंकित मूल्य/दर सूची से अधिक मूल्य का भुगतान कदापि न करें।
- बिना बिल/रसीद प्राप्त किये भुगतान न करें।
- अनाधिकृत हाकरों/वेंडरों से वस्तु न खरीदें।
- खरीदे गये वस्तु की समय सीमा समाप्ति तिथि (Expiry Date) तथा मात्रा देखकर वस्तु/खाद्य पदार्थ खरीदें।
- पूर्वोत्तर रेलवे के सभी बड़े स्टेशनों पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु वाटर वेडिंग मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
- निर्धारित मूल्य वाटर वेडिंग स्टॉल पर अंकित है। अंकित मूल्य से अधिक का भुगतान कदापि न करें।

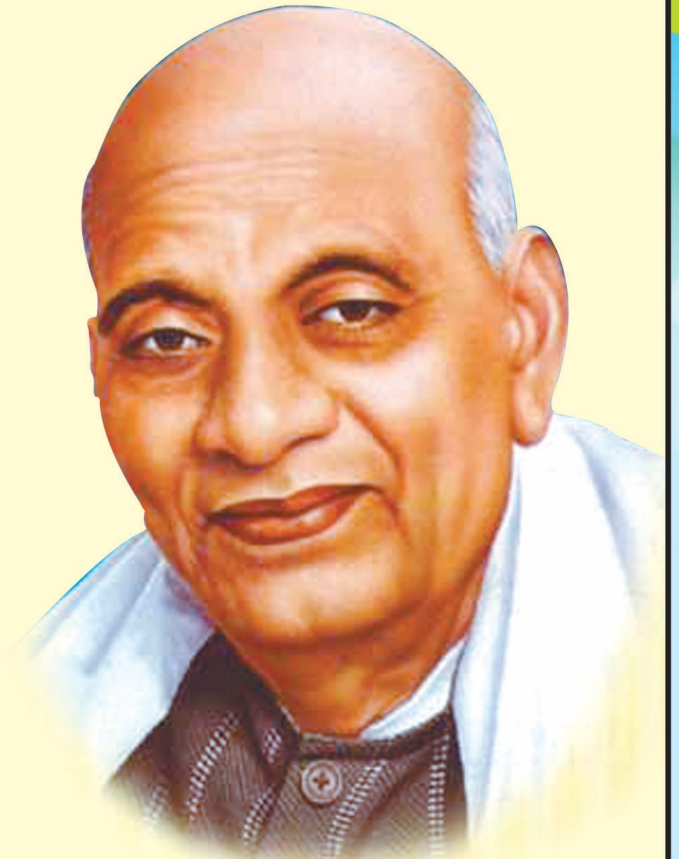


उपर्युक्त से सम्बन्धित शिकायत होने पर 139 हेल्पलाइन पर सम्पर्क करें।

सतर्कता संगठन
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर



October 02, 1869 - January 30, 1948



October 31, 1875 - December 15, 1950

अस्वीकरण

यह बुकलेट मात्र संकेतिक है, अपने आप में सुविस्तृत नहीं। यह संबंधित विषय पर न किसी भी प्रकार से किसी नियम, प्रक्रिया तथा वर्तमान अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों को प्रतिस्थापित नहीं करता। इस बुकलेट में उल्लेखित प्रावधान किसी भी प्रकार से किसी भी रेलवे कोड एवं परिपत्रों का जिनका इसमें हवाला दिया गया है का अधिक्रमण नहीं करता एवं मामलों को सही संदर्भ में समझने के लिए इन्हें अन्य संगत पॉलिसी/सर्कुलर के समायोजन के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इस बुकलेट को किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए एवं जहां कहीं आवश्यक हो तो संबंधित विषय से संबद्ध मूल आदेश को ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

